Hans India, Hyderabad, 24/10/2026
Page No: 10, Size: 10.85cm × 19.47cm

NHRC seeks govt report on children at Digvijaya Singh's yatra

BHOPAL: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report from the Madhya Pradesh government over allegations that children were offered money to join a yatra led by former chief minister and Congress leader Digvijaya Singh and made to raise objectionable political slogans.

NHRC member Priyank Kanoongo said the commission had issued notices to the state's Chief Secretary and Director General of Police (DGP), directing them to investigate the allegations and submit a report within 15 days.

"We have received a complaint alleging that Digvijaya Singh has initiated a march and has been exploiting children to increase the size of the crowds participating in it. The complainant has suggested that children might be involved through some arrangement, possibly involving monetary payments,"



Kanoongo said. He said the complaint also alleged that children were being made to chant objectionable political slogans during the march.

"Acting on this complaint, we have issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police (DGP) of Madhya Pradesh, directing them to conduct a proper investigation into the matter and submit a report to us. We have granted them a period of 15 days to do so," he added.

The commission has asked the state authorities to submit an Action Taken Report (ATR) detailing the steps taken in response to the complaint.

Orrisa Post, Bhubaneshwar, 24/10/2026
Page No: 5, Size: 17.07cm × 24.39cm

NHRC orders probe into social boycott of ex-MLA's family

POST NEWS NETWORK



Nabarangpur, Oct 23: The National Human Rights Commission (NHRC) has intervened in an alleged case of social boycott involving the family of former Nabarangpur MLA Sadasiva Pradhani, directing the district collector to investigate the matter and submit an action-taken report (ATR) within four weeks.

The complaint was filed by advocate Anup Kumar Patra, who alleged that Pradhani's family had been socially boycotted over his daughter's proposed marriage to a man from another community. The NHRC registered a case (923/18/10/26) and directed the authorities concerned to take appropriate action in accordance with the law.

According to the complaint, a meeting was held March 21, 2026 at Maa Danteswari temple in Dhamanaguda village under the leadership of Jagannath Majhi, Nabarangpur district president of the Akhil Bharatiya Bhatra Vikas Parishad. It was alleged that a decision was taken at the meeting to socially boycott and ostracise Pradhani's family because his daughter intended to marry a man from another community.

Patra approached the NHRC March 23 under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, arguing that the alleged action violated the family's personal liberty, human dignity and constitutional rights. He sought the commission's intervention to ensure the family's safety and secure justice.

The complainant also alleged that former MP Pradeep Majhi and his family had previously faced similar measures over an inter-community marriage. He argued that such practices undermine social freedom and an individual's right to choose a life partner.

In his petition, Patra urged the commission to ensure the family's safety, order a high-level investigation and initiate legal proceedings against those responsible under the Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. He also called for awareness programmes to prevent social boycotts.

After reviewing the complaint October 21, the apex rights body directed that it be forwarded to the relevant authorities for appropriate action under the law. The authorities were asked to investigate the allegations in consultation with the complainant and the affected family, inform them of the steps taken and submit an action taken report to the commission within four weeks.

Hitavada, Bhopal, 24/10/2026
Page No: 1, Size: 48.39cm × 19.92cm

NHRC slams Digvijaya *Yatra*: Notice over use of schoolchildren for political sloganeering

■ Staff Reporter

THE National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognizance of Congress veteran and former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijaya Singh's 'Satya Sanatan Swabhiman Yatra' for alleged child rights violation.

Acting on a complaint, a bench headed by NHRC member Priyank Kanoongo has issued notices to Madhya Pradesh Chief Secretary Ashok Barnwal and DGP Kailash Makwana, directing them to inquire into the matter and submit an Action Taken Report (ATR) within two weeks.





The yatra, which began on Dussehra from Ujjain to Ayodhya, came under scrutiny after a video went viral on social media. The complainant alleged that schoolchildren were made to raise political slogans during the yatra within MP borders, with photos and videos shared online on October 22.

The complaint also raised apprehension that children may have been lured with money to join the march.

The apex rights body observed that the allegations prima facie seem to be violations of the rights of the children and invoked

Contd on page 2

FROM THE FRONT PAGE

NHRC slams Digvijaya Yatra...

Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993. In a significant expansion of the probe, the NHRC has also directed the Secretary of the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), S. Krishnan, to examine the online circulation of photographs and videos featuring children and submit a separate ATR. The authorities have been specifically told to investigate the alleged monetary inducement, which the Commission said raises serious concerns of exploitation. The State Government is yet to submit its report. No official statement has been issued by Digvijaya Singh's office till filing of this report.

Amar Ujala (My City), Varanasi, 24/10/2026
Page No: 1, Size: 21.11cm × 10.72cm

मृत को जिंदा बताकर पांच दिन वेंटिलेटर पर रखा

माई सिटी रिपोर्टर

ठाकुरगंज के निजी अस्पताल में सीतापुर के मरीज को कराया गया था भर्ती | मानवाधिकार आयोग ने डीएम को समन जारी कर मांगा जवाब

लखनऊ। ठाकुरगंज के निजी अस्पताल में मृत मरीज को जिंदा बताकर पांच दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। तीमारदारों से पांच लाख रुपये वसूले गए। इसकी शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी को जांच के निर्देश देने के साथ डीएम को समन जारी कर जवाब मांगा है।

सीतापुर के अटरिया दरियापुर गांव निवासी डेंगू पीड़ित विशाल पांडेय को ठाकुरगंज के अस्पताल में 20 अक्तूबर 2024 को भर्ती किया गया। हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। परिजनों का आरोप था कि मौत के बाद भी विशाल को पांच दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। जब वे जबरन वार्ड में घुसे तो विशाल को मृत पाया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद परिवारीजनों ने हंगामा किया था।

आख्या सहित पेश होने का आदेश

विशाल के परिचित महाराष्ट्र के ठाणे निवासी आसिफ आबिद खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामले की शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने 21 जनवरी 2025 को डीएम को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 22 अगस्त 2025 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट की आख्या मिली। इसमें चिकित्सकीय विशेषज्ञ की राय मांगे जाने का जिक्र था।

- 30 जनवरी 2026 को डीएम को दो सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए पर जवाब नहीं मिला। इस पर आयोग ने नाराजगी जताई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत डीएम को समन जारी किया गया। आयोग ने डीएम को आख्या सहित आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि एक दिसंबर तक आख्या उपलब्ध करा दी जाती है तो व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी।

“ मानवाधिकार आयोग ने जांच रिपोर्ट मांगी है। इसे तैयार कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता को बयान दर्ज कराने के लिए कई बार पत्र भेजा पर वह नहीं आया। पूरे मामले की रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। - **डॉ. एनबी सिंह, सीएमओ**

Source: https://www.rediff.com/news/commentary/2026/oct/23/did-digvijaya-singh-pay-children-to-join-his-yatra/1d62573f83dbc6207fbde44009003a00

Did Digvijaya Singh pay children to join his yatra?
Fri, 23 October 2026

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a report from the Madhya Pradesh government over allegations that children were offered money to join a yatra led by former chief minister and Congress leader Digvijaya Singh and made to raise objectionable political slogans.

NHRC member Priyank Kanoongo said the commission had issued notices to the state's Chief Secretary and Director General of Police (DGP), directing them to investigate the allegations and submit a report within 15 days.

"We have received a complaint alleging that Digvijaya Singh has initiated a march and has been exploiting children to increase the size of the crowds participating in it. The complainant has suggested that children might be involved through some arrangement, possibly involving monetary payments," Kanoongo said.

He said the complaint also alleged that children were being made to chant objectionable political slogans during the march.

"Acting on this complaint, we have issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police (DGP) of Madhya Pradesh, directing them to conduct a proper investigation into the matter and submit a report to us. We have granted them a period of 15 days to do so," he added.

The commission has asked the state authorities to submit an Action Taken Report (ATR) detailing the steps taken in response to the complaint.

The allegations concerning the children's participation in the political march, including claims of monetary inducements and the use of objectionable slogans, will be examined as part of the investigation.

Source: https://clarionindia.net/up-police-shot-about-650-cow-smuggling-suspects-in-six-years-93-were-muslims/

UP Police Shot About 650 Cow Smuggling Suspects in Six Years, 93% Were Muslims
Team Clarion
Date: October 23, 2026

Investigation finds a pattern of leg shootings, often referred to locally as 'half-encounters'. These cases have become a documented feature of policing in Uttar Pradesh

NEW DELHI — Uttar Pradesh police shot and injured nearly 650 people accused of cow smuggling between 2020 and 2025, with a vast majority of them belonging to the Muslim community, according to an investigation based on police records and reviewed by the Associated Press (AP).

The data was compiled by the Centre for the Study of Organized Hate (CSOH), a Washington-based research group. The centre said it tracked 650 cases of suspects accused under cow smuggling and cattle slaughter laws who were injured in police encounters. Of the 627 cases where religious identity could be verified from names and other records, 583 — or about 93% — were Muslims.

The AP said it independently reviewed a sample of more than 200 of those cases by examining First Information Reports (FIRs), police press releases, and posts from official district police handles on X.

The investigation raises questions about the use of force, due process, and disproportionate impact, as all the cases analysed were ones publicised by the police themselves — suggesting the actual number could be higher.

The Pattern

According to the reports reviewed, the encounters follow a strikingly similar narrative pattern:

Police state they attempted to stop suspects — often at night, in small trucks carrying cattle — on suspicion of illegal cattle transport. The suspects allegedly attempted to flee, opened fire on police, and in retaliation, police fired back, aiming at their legs to disable and apprehend them.

Leg shootings, often referred to locally as "half-encounters," have become a documented feature of policing in Uttar Pradesh. Under Chief Minister Yogi Adityanath, who took office in 2017, the government has publicly adopted a "zero tolerance" policy toward crime.

Since 2017, the UP Police claim to have conducted over 12,000 criminal encounters state-wide, according to figures presented by the state government in the assembly. While most relate to cases of murder, robbery, kidnapping and gangsterism, a significant sub-category involves cases registered under cow protection laws.

The Legal Context

Cow slaughter is banned or heavily restricted in 20 of India's 28 states. In Uttar Pradesh, it is governed by the UP

Prevention of Cow Slaughter Act, 1955, which was made more stringent by amendments in 2020.

The amended law prohibits slaughter and transport of cows, bulls and bullocks. It includes buffaloes under some transport restrictions and provides for imprisonment of up to 10 years and a fine of up to Rs 5 lakh for violations.

The amended law makes the offence non-bailable and allows for seizure of vehicles and properties.

Hindus, who make up about 80% of India's population, revere the cow as sacred. Cattle trade, meat and leather work in many parts of North India has traditionally been carried out by Muslims, along with Dalit communities. Critics argue this economic reality is why Muslims are over-represented in cases registered under the Act.

Police Response

Senior UP Police officials have denied allegations of communal targeting or extrajudicial punishment.

Amitabh Yash, Additional Director General (Law and Order) in UP, told the AP that force was used only in self-defence and that there was no system of rewards or career benefits for officers involved in encounters.

"The police must be questioned for every action they take. Every action is open to scrutiny, whether it is a death or an injury," Yash said. He said the high number of Muslims in cow smuggling cases reflects the demographics of those involved in the illegal cattle trade, not a policy of targeting.

He added that police would investigate the pattern of leg injuries if a formal complaint was filed.

UP Police also maintain that the crackdown has reduced organised cattle smuggling and improved law and order.

Judicial and Human Rights Scrutiny

The practice has faced growing scrutiny from courts and rights groups.

In January 2025, the Allahabad High Court, while hearing a bail plea, observed: "This court has noticed that the practice of police encounters, particularly firing at the legs of accused persons, has seemingly become a routine feature," calling such conduct "wholly impermissible" under the rule of law. The court also questioned whether some encounters were staged to gain publicity.

In June 2025, in a separate case, another bench of the Allahabad High Court flagged what it called a "culture of institutional impunity" in the state.

Under guidelines laid down by the Supreme Court of India in 2014 in People's Union for Civil Liberties (PUCL) vs State of Maharashtra, every encounter death must be investigated by an independent agency, with FIRs, magisterial inquiry, and reporting to the National Human Rights Commission (NHRC). However, the guidelines are less specific on non-fatal injuries. A PIL filed by PUCL in 2018 seeking an independent probe into Uttar Pradesh encounters remains pending before the Supreme Court.

The NHRC data shows Uttar Pradesh consistently reports the highest number of encounter deaths in judicial custody among all states.

Impact on Families

The AP reported interviews with families of six Muslim men shot in the legs. The families said the men, many of whom were daily-wage buffalo traders or transporters, were left with permanent disabilities.

One mother said her son could no longer work: "He's been left lame. His leg has developed a large swelling."

Raqib Naik, Executive Director of CSOH, said the data shows a clear disproportionate impact: "When 93% of those

shot for one specific alleged crime belong to one minority community, it requires an explanation beyond just who is in the trade."

Human rights lawyer Mangla Verma said: "This is a dangerous situation. It's become a routine police practice... Instead of investigating, police kill or injure a person and justice is done."

The Uttar Pradesh government has not released its own consolidated religion-wise data on those injured in cow-related encounters to counter the findings of the report.

Source: https://newsable.asianetnews.com/india/nhrc-probes-safety-concerns-over-punjab-mukhyamantri-tirth-yatra-buses-articleshow-a5s0gmo

NHRC Probes Safety Concerns Over Punjab Mukhyamantri Tirth Yatra Buses
Author : Asianet News Central| ANI
Published : Oct 24 2026, 09:11 AM IST

The NHRC has launched an inquiry into the Punjab government's pilgrimage bus scheme following reports of severe safety violations, including structural flaws and inadequate fire emergency measures in sleeper buses used for the elderly.

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of allegations regarding the deployment of unsafe and potentially non-compliant air-conditioned sleeper buses under the Punjab government's Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana, a scheme aimed at facilitating pilgrimages for senior citizens and economically disadvantaged persons.

According to an official release, the complaint has raised concerns over alleged unauthorised structural modifications, the installation of partitions and doors separating the driver's cabin from the passenger compartment, obstruction of emergency exits and windows, and deficiencies in essential fire detection, suppression and emergency evacuation arrangements. The Commission expressed concern over the alleged safety violations, emphasising that beneficiaries of a welfare scheme must not be exposed to risks to their lives.

"A welfare scheme cannot put the lives of its beneficiaries at risk. The safety of elderly pilgrims must not be compromised under any circumstances," the release said.

Commission Issues Directives and Notices

The NHRC Bench presided over by Priyank Kanoongo has issued notices to the Chief Secretary, Government of Punjab, and the Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

The Commission had earlier taken cognisance of similar cases involving fatal bus accidents and serious passenger-safety violations, particularly structural designs that isolate the driver's cabin from the passenger compartment, potentially obstructing fire detection, communication and emergency evacuation. In those proceedings, the Commission had sought responses from the Ministry of Road Transport and Highways, the Director of the Central Institute of Road Transport (CIRT), Pune, and concerned State Governments, including Punjab, to address the safety deficiencies and ensure compliance with prescribed standards.

As part of its latest directions, the Commission has asked the Punjab Chief Secretary to personally ensure an immediate and comprehensive inspection of all buses deployed under the Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana. Any bus found violating mandatory safety requirements must be withdrawn from service until the deficiencies are rectified and compliance is verified by the competent authority.

The Commission has given both authorities seven days to submit detailed Action Taken Reports (ATRs) outlining the steps taken in response to its directions. The report from the Punjab Chief Secretary must specify the number of buses deployed under the scheme, inspections undertaken, deficiencies identified, corrective measures initiated, non-compliant vehicles withdrawn, and accountability fixed upon the officials and operators concerned. Mere forwarding of departmental replies or general assurances of compliance will not suffice.

The Ministry of Road Transport and Highways has also been directed to examine compliance with applicable bus-body design standards, Automotive Industry Standards and CIRT guidelines, review enforcement measures taken pursuant to earlier proceedings, and report on concrete steps to prevent the continued operation of unsafe sleeper buses and the recurrence of fatal accidents.

The Commission has emphasised the need for strict and time-bound compliance with its directions, stating that any failure to submit substantive reports will be viewed seriously.

Source: https://thenewsmill.com/2026/10/nhrc-orders-punjab-to-inspect-unsafe-buses-in-tirth-yatra-yojana/

NHRC orders Punjab to inspect unsafe buses in Tirth Yatra Yojana
By TNM (With ANI Inputs) 24 October 2026, 9:12 am

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken cognisance of allegations concerning the deployment of unsafe and potentially non-compliant air-conditioned sleeper buses under Punjab's Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana, a programme designed to facilitate pilgrimages for senior citizens and economically disadvantaged individuals.

An official release detailed complaints about unauthorised structural modifications to the buses, including the installation of partitions and doors separating the driver's cabin from the passenger area, obstruction of emergency exits and windows, and deficiencies in critical fire detection, suppression, and emergency evacuation systems.

The Commission expressed concern over these alleged safety violations, emphasising that beneficiaries of welfare schemes must not be exposed to life-threatening risks.

"A welfare scheme cannot put the lives of its beneficiaries at risk. The safety of elderly pilgrims must not be compromised under any circumstances," the release stated.

The NHRC Bench, headed by Priyank Kanoongo, has issued notices to the Chief Secretary of the Government of Punjab and the Secretary of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993.

Previously, the Commission had addressed similar issues following fatal bus accidents involving buses with structural designs that isolate the driver's cabin from passengers, hindering fire detection, communication, and emergency evacuation. In those cases, it sought responses from the Ministry of Road Transport and Highways, the Director of the Central Institute of Road Transport (CIRT) in Pune, and various State Governments, including Punjab, to rectify safety deficiencies and ensure adherence to standards.

Following the latest directions, the NHRC has instructed the Punjab Chief Secretary to conduct an immediate and comprehensive inspection of all buses used under the Mukhyamantri Tirth Yatra Yojana. Any buses found violating mandatory safety requirements must be removed from service until the defects are corrected and compliance is confirmed by the competent authority.

The Commission has mandated both authorities to submit detailed Action Taken Reports within seven days, specifying the number of buses deployed, inspections conducted, deficiencies discovered, corrective measures adopted, vehicles withdrawn, and accountability established for officials and operators. It specified that mere forwarding of departmental replies or general assurances will be insufficient.

Additionally, the Ministry of Road Transport and Highways must review compliance with applicable bus-body design standards, Automotive Industry Standards, and CIRT guidelines, evaluate enforcement efforts following

previous proceedings, and report on concrete measures to prevent the operation of unsafe sleeper buses and recurrence of fatal accidents.

The NHRC underscored the importance of strict, timely compliance with its directives and warned that failure to submit substantive reports would be taken seriously.

Source: https://www.orissapost.com/nhrc-orders-probe-into-social-boycott-of-ex-mlas-family/

NHRC orders probe into social boycott of ex-MLA's family
Post News Network Updated: October 24th, 2026, 09:37 IST in State, Top Stories, Trending

Nabarangpur: The National Human Rights Commission (NHRC) has intervened in an alleged case of social boycott involving the family of former Nabarangpur MLA Sadasiva Pradhani, directing the district collector to investigate the matter and submit an action-taken report (ATR) within four weeks.

The complaint was filed by advocate Anup Kumar Patra, who alleged that Pradhani's family had been socially boycotted over his daughter's proposed marriage to a man from another community. The NHRC registered a case (923/18/10/26) and directed the authorities concerned to take appropriate action in accordance with the law.

According to the complaint, a meeting was held March 21, 2026 at Maa Danteswari temple in Dhamanaguda village under the leadership of Jagannath Majhi, Nabarangpur district president of the Akhil Bharatiya Bhatra Vikas Parishad. It was alleged that a decision was taken at the meeting to socially boycott and ostracise Pradhani's family because his daughter intended to marry a man from another community.

Patra approached the NHRC March 23 under Section 12 of the Protection of Human Rights Act, 1993, arguing that the alleged action violated the family's personal liberty, human dignity and constitutional rights. He sought the commission's intervention to ensure the family's safety and secure justice.

The complainant also alleged that former MP Pradeep Majhi and his family had previously faced similar measures over an inter-community marriage. He argued that such practices undermine social freedom and an individual's right to choose a life partner.

In his petition, Patra urged the commission to ensure the family's safety, order a high-level investigation and initiate legal proceedings against those responsible under the Bharatiya Nyaya Sanhita and other applicable laws. He also called for awareness programmes to prevent social boycotts.

After reviewing the complaint October 21, the apex rights body directed that it be forwarded to the relevant authorities for appropriate action under the law. The authorities were asked to investigate the allegations in consultation with the complainant and the affected family, inform them of the steps taken and submit an action taken report to the Commission within four weeks.

Source: https://theobserverpost.com/withdraw-children-from-convent-schools-madrasas-bjp-mlas-appeal-to-hindu-families/

Withdraw Children From Convent Schools, Madrasas': BJP MLA's Appeal to Hindu Families
By The Observer Post
Published On: October 23, 2026 11:16 AM

Bharatiya Janata Party (BJP) MLA Umakant Sharma has urged Hindu families who identify as Sanatanis to withdraw their children from Christian convent schools and Muslim madrasas, saying the move would serve the interests of society. Sharma, who represents the Sironj Assembly constituency in Madhya Pradesh's Vidisha district, made the appeal in a Facebook post. He did not name any specific school or madrasa or suggest alternative educational institutions for parents.

"True Sanatani brothers, mothers and sisters should immediately withdraw their children from schools following the Christian convent tradition. Similarly, if their children are studying at a Muslim madrasa, they should remove them from there as well. This is in the interest of society," Sharma wrote.

His remarks come amid a separate development in Sironj, where operators of 11 madrasas have applied to the School Education Department to close their institutions, citing low student enrolment.

11 Madrasas Seek Closure Over Low Enrolment
According to a departmental letter, the Janpad Shiksha Kendra under the Sarva Shiksha Abhiyan in Sironj has written to the District Education Centre, requesting that the institutions be recorded as closed on Education Portal 3.0 and the Unified District Information System for Education (UDISE) portal. The letter lists all 11 madrasas and their UDISE identification numbers. It states that their operators submitted applications seeking closure because of the low number of students enrolled. The document indicates that the process of updating the institutions' status on the portals began after the applications were received. It does not, by itself, establish that all 11 institutions have completed the closure process.

NHRC Member Claims Hindu Children Were Studying in Madrasas
Priyank Kanoongo, a member of the National Human Rights Commission (NHRC), shared the departmental letter on social media and welcomed the development.

"Good news! In my home district of Vidisha, Madhya Pradesh, action has been initiated to close 11 madrasas over the past year. There were also cases of Hindu children being kept in madrasas in Vidisha," Kanoongo wrote.

He claimed that the district administration had conducted an awareness campaign to promote school education and ensure compliance with the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, commonly known as the Right to Education (RTE) Act. According to Kanoongo, these measures enabled children to enrol in regular schools, leaving the madrasas empty. He also congratulated the district collector and the Education Department, saying the measures would help children access their educational rights and prevent the waste of taxpayers' money.

However, Kanoongo’s post does not specify how many Hindu children were allegedly studying in the madrasas, where they were subsequently admitted or which institutions were involved in the cases he mentioned.

Source: https://www.freepressjournal.in/amp/indore/nhrc-issues-notice-to-mp-govt-over-allegations-of-children-being-paid-to-join-digvijaya-singhs-yatra-video

NHRC Issues Notice To MP Govt Over Allegations Of Children Being Paid To Join Digvijaya Singh's Yatra | VIDEO

The National Human Rights Commission (NHRC) issued notices to Madhya Pradesh authorities over allegations that children were offered money to join Congress leader Digvijaya Singh's yatra and chant objectionable political slogans. The Chief Secretary and police chief must submit a report within 15 days. Authorities will also investigate the alleged online circulation of
videos.

ANI Updated: Friday, October 23, 2026, 03:37 PM IST

Bhopal (Madhya Pradesh): The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Madhya Pradesh government over a complaint alleging that children were offered money to participate in a yatra led by former Chief Minister and Congress leader Digvijaya Singh and raise objectionable political slogans.

NHRC Member Priyank Kanoongo said the commission had directed the Chief Secretary and the Director General of Police (DGP) of Madhya Pradesh to conduct a proper investigation into the allegations and submit a report within 15 days.

"We have received a complaint alleging that Digvijaya Singh has initiated a march and has been exploiting children to increase the size of the crowds participating in it. The complainant has suggested that children might be involved through some arrangement, possibly involving monetary payments," Kanoongo said.

He further stated that the complaint alleged that children were being made to raise objectionable political slogans during the march.

"Furthermore, the complainant has alleged that Digvijaya Singh is having children chant objectionable political slogans. Acting on this complaint, we have issued notices to the Chief Secretary and the Director General of Police (DGP) of Madhya Pradesh, directing them to conduct a proper investigation into the matter and submit a report to us. We have granted them a period of 15 days to do so," he added.

The NHRC has sought an Action Taken Report (ATR) from the state authorities after examining the complaint and directed them to investigate the allegations. The commission's notice seeks a report on the action taken by the authorities within the stipulated period.

The complaint also raised concerns over the alleged involvement of children in the political march, including claims that they may have been brought in through monetary arrangements and made to chant political slogans.

The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) has also been asked to investigate the alleged online circulation of videos and photographs featuring the children.

Source: https://www.siasat.com/childs-protest-vs-textbook-revisions-a-constitutional-debate-3563133/

Child's protest vs textbook revisions: A constitutional debate on double standards

The NHRC's action over a schoolchild's protest placard raises questions about child rights, free speech and the bias in textbook revisions.

Shafeeq R. Mahajir| Published: 23rd October 2026 4:26 pm IST

A "democracy absent" placard in a fancy dress competition saw the National Human Rights Commission (NHRC) issue notices to the school and the Madhya Pradesh government. While peaceful protest and freedom of expression are recognised fundamental human rights, both internationally and under the Constitution of India, the controversy centred on the intersection of free expression, child rights, and school environments.

The fundamental right to protest and free speech

Under constitutional and international frameworks:

Constitution of India (Article 19): Article 19(1)(a) guarantees freedom of speech and expression. Article 19(1)(b) guarantees the right to assemble peaceably and without arms. These rights extend to dissent, political satire and peaceful demonstration, though they are subject to "reasonable restrictions" under Article 19(2) (such as public order, decency, morality, and sovereignty).

International standards: The Universal Declaration of Human Rights (Articles 19 and 20) and the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) protect peaceful assembly and expression as core civil liberties.

Why the NHRC and authorities intervened

The tension in this case arose not from whether protest in the abstract is a right, but from how, where, and through whom the expression took place:

Child rights and agency: The participant was a Class 1 student (typically five to six years old). A central legal and ethical argument raised by critics and frequently examined by bodies like the NHRC and child rights commissions (such as National Commission for Protection of Child Rights [NCPCR]) is whether very young children can formulate such political views independently, or whether adults (teachers, parents, or school administrators) utilised the child as a medium for adult political messaging. Under child protection principles, using minors for partisan or political theatre often faces scrutiny regarding child welfare and consent.

School environment and neutrality: Primary schools are expected to maintain educational neutrality and shield early-childhood spaces from active political polarisation. Regulatory bodies routinely inspect whether curriculum or extracurricular events adhere to age-appropriate pedagogical guidelines.

Nature of NHRC notices: An NHRC notice is not a criminal finding or a verdict of guilt. It is an administrative

mechanism to seek facts and a formal explanation from state officials and the school regarding potential irregularities, child welfare concerns or procedural lapses.

The core dilemma

From a civil liberties perspective: Political commentary, even when uncomfortable or critical of governance, is protected speech. Critics view administrative interventions and political group backlash against a school fancy-dress act as disproportionate overreach that chills artistic and expressive freedom.

From a child rights and institutional perspective: Very young children should not be enlisted into adult ideological conflicts and schools must be held accountable for ensuring that student activities remain developmental rather than politically weaponised.

When statutory oversight bodies invoke the vulnerability of early-childhood agency to discipline symbolic expression in private schoolrooms, they deploy a specific premise: that the impressionable minds of minors must be shielded from partisan adult agendas. This premise, however, exposes a profound constitutional contradiction when contrasted with state-directed curriculum engineering. While micro-level symbolic acts are treated as acute violations of child protection norms, the macro-level systemic pruning of school textbooks – specifically the erasure of centuries of medieval Indian history, referable to "Muslim rule," and the selective valorisation of historical narratives – escapes equivalent accountability. This article examines whether institutional bodies like human rights commissions must logically apply the doctrine of non-indoctrination equally to state-mandated syllabi. Mapping the question to Supreme Court jurisprudence – notably SR Bommai vs Union of India, Aruna Roy vs Union of India, Bijoe Emmanuel vs State of Kerala, and cases surrounding the contours of Article 21(A) – this study argues that selective historical omission constitutes an impermissible exercise in state ideological socialisation that violates constitutional secularism, the right to meaningful education and the fundamental duty to cultivate scientific temper under Article 51A(h).

The dual standard of 'impressionability'

In contemporary administrative practice, state and statutory bodies increasingly intervene to police ideological displays involving minors, resting their jurisdictional logic on the doctrine of impressionability. Under this doctrine, a child of tender years lacks mature cognitive agency; therefore, exposing them to or enlistment into overt political controversy is deemed an instrumentalisation of the child in violation of protection norms. Yet, this regulatory zeal exhibits a glaring asymmetry:

At the micro-level: A single child participating in an extracurricular school event with a placard critiquing governance triggers notices from human rights bodies and district education directorates, grounded in allegations of adult manipulation and premature politicisation.

At the macro-level: State curriculum bodies systematically expunge extensive historical epochs, such as the Delhi Sultanate, the Mughal Empire and syncretic medieval traditions, from compulsory national textbooks, replacing multidimensional historiography with uncritical hagiography.

If an elementary-school fancy dress performance is subject to human rights inquiry on the premise that adult actors are imprinting partisan political viewpoints onto children, by what constitutional principle is the state exempt from identical scrutiny when it uses compulsory public curricula to achieve ideological socialisation?

Constitutional thresholds: Mapping the jurisprudence

The Supreme Court of India has repeatedly confronted the boundary separating legitimate educational policy from impermissible state-sponsored indoctrination. The governing constitutional principles emerge across several key precedents:

1. Secularism as basic structure and state neutrality: SR Bommai (1994)

In SR Bommai vs Union of India, a nine-judge Supreme Court bench established that secularism is an inviolable feature of the basic structure of the Constitution. The top court made it clear that the state cannot identify with, promote or privilege any particular religious or political ideology at the expense of others. "Secularism is part of the basic structure... If the State aligns itself with any religious group or pursues policies aimed at promoting or degrading a particular community or religion, it acts ultra vires the Constitution," it said. Applying this standard to educational policy, state-sponsored curriculum revision that methodically excises approximately eight centuries of Islamic and syncretic medieval rule, while inflating mytho-historical antiquity, amounts to sectarian revisionism. When textbooks cease to record factual historical complexity and instead curate history to foster specific cultural nationalism, the state abandons its constitutionally mandated neutrality.

2. Permissible value education vs sectarian indoctrination

The boundary of textbook regulation was directly litigated in Aruna Roy and Others vs Union of India (2002). In that case, the Supreme Court evaluated the National Curriculum Framework for School Education (NCFSE) against allegations that it promoted the "saffronisation" of education in violation of Article 28(1). While the Court ultimately held that teaching universal ethical values and the academic study of diverse religions did not violate Article 28 (distinguishing "value education" from sectarian "religious instruction"), Justice MB Shah and Justice DM Dharmadhikari drew a strict constitutional line:

The prohibition of dogma: The court emphasised that education must not degenerate into dogma, narrow sectarianism, or the propagation of communal bias.

The standard of inclusivity: The legitimacy of curriculum design depends on its capacity to reflect the pluralist ethos of India's composite culture, rather than the political ethos of the ruling executive.

Where curriculum changes bypass peer-reviewed historiographical consensus, omit entire dynasties whose architectural, administrative and linguistic influences remain ubiquitous, and redefine historical eras strictly through an antagonistic or majoritarian lens, the revisions cross the threshold identified in Aruna Roy from academic instruction into state-sanctioned dogma.

3. Pluralism and freedom from coerced uniformity

In Bijoe Emmanuel vs State of Kerala (1986), the Supreme Court famously upheld the right of students belonging to the Jehovah's Witnesses sect to refrain from singing the national anthem on grounds of conscience, so long as they stood respectfully. "Our tradition teaches tolerance; our philosophy preaches tolerance; our Constitution practises tolerance; let us not dilute it," it said. The core teaching of Bijoe Emmanuel is that educational spaces must not become engines of compulsory orthodoxy or enforced ideological conformity. When state curricula scrub inconvenient or complex history to enforce a singular, sanitised conception of the national past, they subvert the foundational tolerance upon which constitutional citizenship rests.

4. The substantive dimension of Article 21A and 'meaningful education'

The constitutional right to free and compulsory education under Article 21A, established via Unni Krishnan, JP vs State of AP (1993) and subsequent enabling legislation, is not satisfied by physical attendance alone. As the Supreme Court observed in Society for Unaided Private Schools of Rajasthan vs Union of India (2012), Article 21A envisions an education that fosters human dignity, critical faculty and egalitarian citizenship. An educational regime that wilfully denies students historical literacy – depriving them of the knowledge required to understand their own society's legal systems, languages, demographics and syncretic monuments – undermines the developmental quality guaranteed under Article 21A. It replaces substantive education with institutionalised omission.

5. Fundamental duties and the spirit of inquiry: Article 51A(h)

The state's curricular power is circumscribed by the values set out in fundamental duties. Article 51A(h) obligates the development of the "scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform." Historiography

governed by political expedience, characterised by the uncritical removal of entire centuries to evade uncomfortable historical facts, substitutes historical inquiry with myth-making. The state cannot simultaneously demand that its citizens develop a scientific temper while mandating a history syllabus built on deliberate omission.

The accountability symmetry: Why selective omission escapes sanction

The disparity between how statutory human rights bodies treat these two categories reveals an institutional blind spot. A statutory commission that views an anti-corruption placard as an impermissible capture of a six-year-old's mind ignores that the entire state machinery of textbook revision operates on millions of impressionable minds daily. Textbooks are not passive texts. In an exam-centric educational system, they constitute the official, unchallengeable truth for students preparing for standardised evaluations. When the state removes historical eras, it denies students the cognitive tools to contextualise contemporary political discourse, thereby accomplishing through structural omission what it condemns in private political expression: the ideological capture of young minds.

The jurisprudential imperative

If the state and its human rights oversight bodies are genuinely committed to protecting young minds from adult ideological capture, that protection cannot begin and end at policing political dissent in elementary school auditoriums. A principled doctrine of child protection must be applied universally.

Equivalence of scrutiny: If early-stage political imprinting constitutes an actionable violation of educational neutrality, then the systemic ideological restructuring of mandatory textbooks represents an infraction of far greater constitutional magnitude.

Statutory neutrality: Bodies tasked with safeguarding human rights under the Protection of Human Rights Act, 1993, must subject state educational bodies (such as the NCERT and state boards) to the same rigorous inquiries regarding child cognitive rights and constitutional neutrality that they direct at private schools.

Fidelity to precedents: Curricular architecture must remain grounded in rigorous, evidence-based academic discipline, insulated from executive majoritarianism and sectarian agendas.

The erasure of 800 years of history is not an academic adjustment. It is an active political intervention into the minds of future citizens. A constitutional democracy cannot claim to protect children from the politics of a cardboard placard while forcing them to study a state-sanctioned politics of erasure. Jai Hind.

Summary
The article discusses the constitutional tension arising from an NHRC notice issued after a Class 1 student displayed a "democracy absent" placard at a school fancy-dress event. While acknowledging the child's right to expression under Article 19, the article questions the double standard in how authorities treat micro-level symbolic protest versus macro-level state curriculum revisions. It argues that while a child's placard is scrutinised as "adult manipulation," the systematic erasure of 800 years of medieval Indian history (including the Delhi Sultanate and Mughal Empire) from textbooks by state curriculum bodies escapes similar accountability. Citing Supreme Court precedents – SR Bommai, Aruna Roy, Bijoe Emmanuel, and cases on Article 21A – the article contends that selective historical omission violates constitutional secularism, the right to meaningful education, and the fundamental duty to develop a scientific temper under Article 51A(h). It concludes that a principled doctrine of child protection must apply equally to state-mandated syllabi, and that a democracy cannot condemn a child's placard while enforcing a "state-sanctioned politics of erasure."

Deccan Chronicle, Online News, 24/10/2026

Source: https://www.deccanchronicle.com/amp/nation/mp-nhrc-orders-probe-over-use-of-children-in-diggys-ujjain-to-ayodhya-padayatra-1998231

MP- NHRC Orders Probe Over 'Use' Of Children In Diggy's Ujjain To Ayodhya 'Padayatra'

The NHRC has directed the chief secretary and director general of police (DGP) of the Madhya Pradesh government to conduct a thorough investigation: Reports

By : Rabindra Nath Choudhury
Update: 2026-10-23 14:11 GMT

BHOPAL: The National Human Rights Commission (NHRC) has issued a notice to the Madhya Pradesh government seeking a probe into the allegations that children were made to raise political slogans at the ongoing 'Ujjain to Ayodhya padayatra' by veteran Congress leader Digvijay Singh.

The NHRC has directed the chief secretary and director general of police (DGP) of the Madhya Pradesh government to conduct a thorough investigation into the allegation and submit a report within two weeks.

"We have received a complaint alleging that Digvijay Singh has initiated a march and has been exploiting children to increase the size of the crowds participating in it. The complainant has suggested that children might be involved through some arrangement, possibly involving monetary payments", the NHRC notice, dated October 22, 2026, said.

The NHRC notice issued by its member Priyank Kanungo further said that the Congress leader has been accused of having children chant objectionable political slogans at the event.

The rights body has directed the chief secretary and the DGP of the Madhya Pradesh government to investigate the matter and submit an Action Taken Report (ATR) within 15 days.

The NHRC has also asked the Ministry of Electronics and Information Technology to probe the alleged online circulation of videos and photographs featuring children taking part in the yatra.

Former chief minister Mr. Singh set out on a 70-day 'padayatra' from Ujjain in Madhya Pradesh to Ayodhya in Uttar Pradesh on the Dussehra Day on Tuesday. The yatra was launched at the Mahakaleshwar shrine in Ujjain and is scheduled to end at Ram Temple in Ayodhya after covering around 950 km. The yatra was launched to highlight alleged theft of donations made for the construction of the Ram Temple and the alleged irregularities in the preparation of electoral rolls.

Source: https://www.siasat.com/sbi-data-breach-hyderabad-advocate-moves-nhrc-seeks-cbi-probe-3563263/

SBI data breach: Hyderabad advocate moves NHRC, seeks CBI probe

In his complaint dated October 21, Yennam Balachander Reddy refers to media reports on the issue as well as the bank's communication to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) regarding the same.

Smriti Sinha | Published: 23rd October 2026 7:46 pm IST

Hyderabad: A city-based advocate has filed a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC), seeking a CBI investigation into the alleged loss of personal data of a substantial number of State Bank of India (SBI) customers. In his complaint dated October 21, Yennam Balachander Reddy refers to media reports on the issue as well as the bank's communication to the Securities and Exchange Board of India (SEBI) regarding the same. The NHRC has acknowledged receipt of the complaint. He said he himself has been an SBI customer for over a decade.

Listing them as respondents, Reddy has also sought an action-taken report from the following: the CBI, the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), the Ministry of Finance, the Reserve Bank of India, the Data Protection Board of India, the Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In), and the Defence Cyber Agency.

On SBI data breach

Citing media reports from October 21, Reddy said, "According to information disclosed by the bank to the SEBI, about 375,000 customer records had been exposed on the dark web in the data breach, to be true and correct." He said that the bank acknowledged a data-loss incident after receiving communications on October 16 "concerning the suspected exposure of customer data on the dark web. Preliminary analysis reportedly identified approximately 3.75 lakh records, including 3,897 customer records containing personally identifiable information (PII). According to the bank, it received communications from its Threat Intelligence Service Provider, the Defence Cyber Agency and CERT-In regarding an alert concerning suspected exposure of customer data earlier in the week. "Preliminary analysis reportedly identified approximately 3.75 lakh records, including 3,897 customer records containing personally identifiable information (PII)," he said.

What complainant seeks

Apart from the CBI investigation, Reddy has also sought "detailed reports from SBI, RBI, MeitY, CERT-In and the other concerned authorities concerning the incident, the response undertaken and the protection afforded to affected customers". He has asked the NHRC to recommend appropriate measures for customer notification, assistance, grievance redressal, and prevention of further exposure or misuse of personal information. Calling the alleged data breach a violation of the right to privacy, Reddy asked for "necessary steps to ensure effective implementation of Section 8(6) of the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023". This Section mandates

that in the event of a personal data breach, the data fiduciary must notify the Data Protection Board of India and each affected user.

Source: https://timesofindia.indiatimes.com/city/guwahati/nhrc-seeks-cop-action-on-plaint-over-hailakandi-schoolgirl-gang-rape-murder-within-8-weeks/articleshow/135153174.cms?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=amp_rss

NHRC seeks cop action on plaint over Hailakandi schoolgirl gang rape-murder within 8 weeks
BB Goswami Oct 23, 2026, 11.38 PM IST

Silchar: The National Human Rights Commission (NHRC) has directed Hailakandi police to act within eight weeks on a complaint over the alleged gang rape and murder of a 15-year-old schoolgirl.

The directive followed a complaint filed by Delhi-based social activist Krishna Rajput through the HRCNet portal on Sept 2. The complaint sought a fair, time-bound investigation and accountability for any lapses by public authorities.

According to NHRC's action-taken record dated Oct 19, the complaint was disposed of with directions and forwarded to the Hailakandi SP for appropriate action within eight weeks. The police have also been asked to inform the complainant of the action taken.

The complaint raised concerns over alleged violations of the victim's right to life, dignity and bodily integrity, and sought the preservation of medical and forensic evidence. It also called for an examination of possible negligence or dereliction of duty by public officials and action against those found responsible.

NHRC's directive comes amid developments in the criminal proceedings. Juvenile Justice Board (JJB) in Hailakandi has recommended that a 16-year-old accused be considered for trial as an adult following a preliminary assessment under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act. The order was passed by the board's principal magistrate after considering the alleged offence, psychological assessment reports from Silchar Medical College and Hospital, and a report submitted by the investigating officer.

Under the Juvenile Justice Act, children aged 16 to 18 accused of heinous offences may undergo a preliminary assessment to determine whether they should face trial as adults. The final decision rests with the Children's Court, which will examine the matter independently. The assessment does not establish the juvenile's guilt.

The special investigation team (SIT) earlier filed a chargesheet against five accused, including four adults and the juvenile. The investigation involved forensic evidence, medico-legal reports, digital records, witness statements and seized materials. The chargesheet was filed under Section 193 of the BNSS. The case was initially registered under Sections 65(1) and 103(1) of the BNS, read with Section 6 of the POCSO Act. Police later invoked additional provisions of the BNS.

According to police, the schoolgirl was found in a bloodied condition inside her residence on the night of Aug 1 while her family members were attending a social event. Police began investigating after receiving information about the incident, and forensic experts collected evidence from the scene. Five accused were arrested in connection with the case. The juvenile's identity has been withheld in accordance with the law.

The incident triggered protests across Hailakandi district, with residents, women's organisations and civil society groups demanding stringent punishment and speedy justice for the victim's family. The NHRC complaint is separate from the criminal proceedings and concerns accountability for the authorities' handling of the case.

Urban Acres, Online News, 24/10/2026

Source: https://urbanacres.in/nhrc-pushes-hailakandi-police-to-act-within-8-weeks/

NHRC Pushes Hailakandi Police to Act Within 8 Weeks
ByAyesha Siddiqui October 24, 2026

The National Human Rights Commission has directed Hailakandi police to take action within eight weeks on a complaint concerning the alleged gang rape and murder of a 15-year-old schoolgirl in Assam, while a Juvenile Justice Board has recommended that a 16-year-old accused be considered for trial as an adult.

The NHRC's direction followed a complaint filed through the HRCNet portal on September 2 by Delhi-based social activist Krishna Rajput. According to the commission's action-taken record dated October 19, the complaint was disposed of with directions and forwarded to the Hailakandi superintendent of police for appropriate action. The police have also been asked to inform the complainant about the action taken.

The complaint sought a fair and time-bound investigation and accountability for any lapses by public authorities. It raised concerns over alleged violations of the victim's right to life, dignity and bodily integrity, and called for the preservation of medical and forensic evidence. It also sought an examination of possible negligence or dereliction of duty by public officials, with action against anyone found responsible.

The NHRC's proceedings are separate from the criminal case. The Juvenile Justice Board in Hailakandi has recommended that the 16-year-old accused be considered for trial as an adult after conducting a preliminary assessment under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act. The board considered the alleged offence, psychological assessment reports from Silchar Medical College and Hospital, and a report submitted by the investigating officer.

Under the Juvenile Justice Act, children aged between 16 and 18 who are accused of heinous offences may undergo a preliminary assessment to determine whether they should face trial as adults. The recommendation does not establish guilt. The final decision rests with the Children's Court, which will examine the matter independently. The identity of the juvenile has been withheld in accordance with the law.

A special investigation team has filed a chargesheet against five accused, including four adults and the juvenile. Police said the investigation included forensic evidence, medico-legal reports, digital records, witness statements and seized materials. The chargesheet was filed under Section 193 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. The case was initially registered under Sections 65(1) and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, read with Section 6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act. Police later invoked additional provisions of the BNS.

According to the police account cited in the case, the schoolgirl was found in a bloodied condition inside her residence on the night of August 1 while family members were attending a social event. Police began investigating after receiving information about the incident, and forensic experts collected evidence from the scene. Five accused were arrested in connection with the case.

The incident led to protests across Hailakandi district, with residents, women's organisations and civil society groups demanding stringent punishment and speedy justice for the victim's family. The immediate institutional

milestones are the Hailakandi police report to the NHRC within eight weeks and the Children's Court's independent decision on the juvenile's proposed adult trial.

Amar Ujala, Online News, 24/10/2026

Source: https://www.amarujala.com/lucknow/claiming-a-deceased-person-was-alive-they-kept-them-on-a-ventilator-for-five-days-lucknow-news-c-13-lko1070-1978978-2026-10-24

Lucknow News: मृत को जिंदा बताकर पांच दिन वेंटिलेटर पर रखा
Lucknow Bureauलखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:33 AM IST

लखनऊ। ठाकुरगंज के निजी अस्पताल में मृत मरीज को जिंदा बताकर पांच दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया। तीमारदारों से पांच लाख रुपये वसूले गए। इसकी शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी को जांच के निर्देश देने के साथ डीएम को समन जारी कर जवाब मांगा है।

सीतापुर के अटरिया दरियापुर गांव निवासी डेंगू पीड़ित विशाल पांडेय को ठाकुरगंज के अस्पताल में 20 अक्तूबर 2024 को भर्ती किया गया। हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया। परिजनों का आरोप था कि मौत के बाद भी विशाल को पांच दिन वेंटिलेटर पर रखा गया। जब वे जबरन वार्ड में घुसे तो विशाल को मृत पाया। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। इसके बाद परिवारीजनों ने हंगामा किया था।

विशाल के परिचित महाराष्ट्र के ठाणे निवासी आसिफ आबिद खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामले की शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने 21 जनवरी 2025 को डीएम को आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 22 अगस्त 2025 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट की आख्या मिली। इसमें चिकित्सकीय विशेषज्ञ की राय मांगे जाने का जिक्र था। 30 जनवरी 2026 को डीएम को दो सप्ताह में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए पर जवाब नहीं मिला। इस पर आयोग ने नाराजगी जताई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत डीएम को समन जारी किया गया। आयोग ने डीएम को आख्या सहित आठ दिसंबर को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। यह भी कहा है कि एक दिसंबर तक आख्या उपलब्ध करा दी जाती है तो व्यक्तिगत उपस्थिति की जरूरत नहीं होगी।

मानवाधिकार आयोग ने जांच रिपोर्ट मांगी है। इसे तैयार कराया जा रहा है। शिकायतकर्ता को बयान दर्ज कराने के लिए कई बार पत्र भेजा पर वह नहीं आया। पूरे मामले की रिपोर्ट भिजवाई जा रही है। - डॉ. एनबी सिंह, सीएमओ

Dainik Bhaskar, Online News, 24/10/2026

Source: https://www.bhaskar.com/g/local/mp/bhopal/news/human-rights-commission-served-third-notice-dbp-139470713.html

Hindi NewsLocalMpBhopalHuman Rights Commission Served Third Notice

मानवाधिकार आयोग ने थमाया तीसरा नोटिस:वीआईटी के भीतर चल रहे क्लीनिक को CMHO ने पहले अवैध बताया, फिर वैध
भोपाल4 घंटे पहले

वेल्लोर वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) भोपाल के नाम, लोकेशन और परिसर में कथित अवैध क्लीनिक संचालन के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने यूजीसी और मप्र उच्च शिक्षा विभाग को तीसरा नोटिस जारी कर 29 नवंबर तक एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है।

एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की शिकायत पर चल रही सुनवाई में स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठे हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, सीएमएचओ सीहोर ने 24 दिसंबर 2025 और 16 जनवरी 2026 को बिना अनुमति क्लीनिक चलाने पर वीआईटी प्रबंधन को नोटिस दिए थे। लेकिन 9 जुलाई 2026 की जांच रिपोर्ट में विभाग ने कहा कि मौके पर डेंटल क्लीनिक संचालित नहीं मिला।

साथ ही, डेनेशिया डेंटल क्लीनिक का आवेदन दस्तावेज अधूरे होने से लौटाने और परिसर में पंजीकृत 10 बिस्तरीय अस्पताल संचालित होने की बात भी दर्ज की। इससे विभाग की रिपोर्ट पर सवाल खड़े हुए हैं।

100 किमी दूर कैंपस, आयोग बोला- छात्र भ्रमित क्यों न हों?

22 अक्टूबर की प्रोसीडिंग में आयोग ने कहा कि वीआईटी का नाम 2007 के कानून के तहत तय हुआ, लेकिन वैधानिक नाम और वास्तविक कैंपस के बीच करीब 100 किमी की दूरी है। सीहोर के कोठरी में परिसर होने पर नाम में भोपाल लिखने से छात्रों-अभिभावकों के भ्रमित होने का सवाल उठाया।

हॉस्टल में खराब भोजन-पानी से छात्रों के बीमार पड़ने और हिंसक उपद्रव के आरोपों पर जवाब नहीं देने पर उच्च शिक्षा विभाग से नाराजगी जताई। दो नोटिस के बाद भी जवाब नहीं देने पर यूजीसी चेयरमैन से सीधे रिपोर्ट मांगी।

Source: https://admin.biusnews.com/publication-tracker

दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों से नारे लगवाने के आरोप पर NHRC का एक्शन, MP के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस

NHRC Action : बच्चों से राजनीतिक नारे लगवाने के मामले में मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान।शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बच्चों को पैसे का लालच देकर यात्रा में शामिल किया गया।

सुधीर दंडोतिया, शाजेब खान
Published on: 23 अक्टूबर 2026, 11:05 am IST
Updated on: 23 अक्टूबर 2026, 11:05 am IST

Highlights :

दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों से राजनीतिक नारे लगवाने के आरोप पर NHRC ने लिया संज्ञान।

मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी, दो सप्ताह में मांगी जांच रिपोर्ट।

शिकायत में बच्चों को पैसे का प्रलोभन देकर नारे लगवाने का आरोप।

22 अक्टूबर को बच्चों से जुड़े वीडियो और तस्वीरें फेसबुक पर साझा किए जाने का दावा।

Digvijaya Singh Yatra Children Slogan Allegation : एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों से कथित तौर पर राजनीतिक नारे लगवाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर मामले की जांच करने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि बच्चों को पैसे का लालच देकर यात्रा में शामिल कराया गया और उनसे राजनीतिक नारे लगवाए गए। इस मामले से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने का भी दावा किया गया है।

शिकायत में बच्चों को पैसे देकर यात्रा में लाने का आरोप
आयोग के 22 अक्टूबर 2026 के पत्र के अनुसार शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि दिग्विजय सिंह की यात्रा के दौरान बच्चों का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों के लिए किया गया। शिकायत में दावा किया गया कि बच्चों को आर्थिक प्रलोभन देकर यात्रा में शामिल कराया गया और उनसे नारे लगवाए गए।

मुख्य सचिव और DGP को दो सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया। आयोग ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आरोपों की जांच कर निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट देने को कहा है। अधिकारियों को ये भी पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि क्या बच्चों को आर्थिक प्रलोभन देकर किसी गतिविधि में शामिल किया गया था और क्या इस दौरान बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों का उल्लंघन हुआ।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय को भी निर्देश
इस मामले में आयोग ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय को बच्चों के कथित वीडियो और तस्वीरों के इस्तेमाल से जुड़े पहलुओं की जांच करने को कहा गया है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को जांच रिपोर्ट की प्रति ईमेल के माध्यम से भी भेजने के निर्देश दिए हैं। इस तरह मामले में राज्य और केंद्र स्तर पर संबंधित अधिकारियों से कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।

आरोपों की पुष्टि होना अभी बाकी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान लेने के बाद अब संबंधित अधिकारियों की जांच और रिपोर्ट पर नजर रहेगी। शिकायतकर्ता ने आयोजन से जुड़े जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि आयोग की ओर से संज्ञान लिया जाना आरोपों की पुष्टि नहीं है। मामले में वास्तविक स्थिति जांच

पूरी होने और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

Source: https://lalluram.com/bhopal-nhrc-ugc-notice-vit-university-sehore-action-taken-report/

मानवाधिकार आयोग का कड़ा रुख: VIT पर कार्रवाई न होने पर NHRC ने जताई नाराजगी; यूजीसी और मप्र सरकार से 4 हफ्ते में मांगी एक्शन टेकन रिपोर्ट

Rituraj Vaishnav 23 Oct 2026, 11:07 AM मध्यप्रदेश

शब्बीर अहमद, भोपाल। राजधानी भोपाल से सटी यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने वीआईटी (VIT) विश्वविद्यालय पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आयोग ने इस मामले में मध्य प्रदेश सरकार और यूजीसी से चार सप्ताह के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है।

क्या है पूरा विवाद?

यह पूरा मामला यूनिवर्सिटी द्वारा 'VIT भोपाल' नाम के इस्तेमाल से जुड़ा है। एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी कि यूनिवर्सिटी द्वारा अपने नाम में 'भोपाल' शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि असल में यह संस्थान भोपाल जिले में नहीं बल्कि इससे करीब 100 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में स्थित है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि ऐसा करने से छात्र और उनके अभिभावक भ्रमित होते हैं।

आयोग ने खारिज किया भ्रामक जांच प्रतिवेदन

शिकायत के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लिया था। आरोप है कि इसके जवाब में वीआईटी विश्वविद्यालय के बचाव में एक भ्रामक और असत्य जांच प्रतिवेदन आयोग को भेज दिया गया था। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए एनएचआरसी ने एक बार फिर जवाब तलब किया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में मानवाधिकार आयोग पहले भी तीन बार पत्र लिख चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई न होने पर आयोग और सख्त हो गया है। अब देखना यह होगा कि चार सप्ताह के भीतर प्रशासन और यूजीसी की ओर से क्या जवाब पेश किया जाता है।

Dainik Bhaskar, Online News, 24/10/2026

Source: https://www.bhaskar.com/g/local/mp/bhopal/news/vit-bhopal-controversy-nhrc-notice-nsui-protest-mp-education-139462212.html

Hindi NewsLocalMpBhopalVIT Bhopal Controversy | NHRC Seeks Report From MP Education Department

वीआईटी के जवाब पर एनएचआरसी ने रिपोर्ट मांगी:एनएसयूआई ने कहा-'भोपाल' लिखने पर आपत्ति; चार सप्ताह में देनी होगी जानकारी
भोपाल22 घंटे पहले

भोपाल। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) भोपाल विश्वविद्यालय के नाम और वास्तविक लोकेशन को लेकर उठे सवालों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने उच्च शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। आयोग ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अतिरिक्त रिपोर्ट और कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 29 नवंबर निर्धारित की गई है।

यह शिकायत राष्ट्रीय छात्र संघ (NSUI) के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने की थी। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय के नाम में 'भोपाल' शब्द होने से विद्यार्थियों और अभिभावकों को परिसर की वास्तविक लोकेशन को लेकर भ्रम हो सकता है, जबकि विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर सीहोर जिले के कोठरी कलां में भोपाल-इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है।

नाम कानून के तहत तय, लेकिन लोकेशन पर सवाल

NHRC ने 22 अक्टूबर की कार्रवाई में राज्य सरकार की रिपोर्ट और प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार किया। आयोग ने माना कि VIT भोपाल का नाम राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया गया है और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के तहत हुई है। हालांकि, आयोग ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय के वैधानिक नाम और वास्तविक स्थान के बीच करीब 100 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद क्या विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के मन में लोकेशन को लेकर गलत धारणा बन सकती है। राज्य सरकार की रिपोर्ट में इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

वेबसाइट और विज्ञापनों की भी होगी जांच

आयोग ने यह भी पूछा कि विश्वविद्यालय अपने प्रॉस्पेक्टस, आधिकारिक वेबसाइट और विज्ञापनों में परिसर की वास्तविक लोकेशन का उल्लेख किस तरह करता है। आयोग के अनुसार, केवल यह बताना पर्याप्त नहीं है कि विश्वविद्यालय का नाम कानून के तहत निर्धारित किया गया है। विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी और उससे पैदा होने वाले संभावित भ्रम के पहलू पर भी स्थिति स्पष्ट करना जरूरी है।

कथित अनधिकृत क्लिनिक और अशांति के आरोप भी शामिल

शिकायत में विश्वविद्यालय परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक संचालित होने और पूर्व में अशांति की घटनाओं के आरोप भी उठाए गए थे। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में इन आरोपों की जांच के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में शिकायत के ये पहलू भी अनुत्तरित हैं। अब राज्य सरकार को अतिरिक्त रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के नाम और वास्तविक लोकेशन, प्रचार सामग्री में दी जाने वाली जानकारी तथा अन्य आरोपों पर की गई जांच की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। फिलहाल, आयोग की कार्रवाई में इन आरोपों के संबंध में किसी अंतिम निष्कर्ष या दोष की पुष्टि नहीं हुई है।

Source: https://hindi.news18.com/news/madhya-pradesh/jabalpur-mp-cg-top-news-today-live-23-october-2026-mohan-yadav-breaking-update-politics-crime-samachar-aaj-ki-taaza-khabarein-local18-10929589.html

MP CG TOP NEWS LIVE: बिलासपुर पहुंचे RSS प्रमुख मोहन भागवत, ग्वालियर में युवक का अपहरण, FIR दर्ज
Written by: Rahul Singh Edited by:गोविन्द सिंह Agency: Local18
Last Updated:October 23, 2026, 14:40 IST

MP CG Top News Today: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर कोने से ताजा खबरों के लिए News18 से जुड़े रहें. यहां आपको राजनीतिक हलचल, क्राइम, प्राकृतिक आपदाएं, स्थानीय विकास तक हर क्षेत्र की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें मिलेंगी.

MP CG Top News Today: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर कोने से ताजा खबरों के लिए News18 से जुड़े रहें. यहां आपको राजनीतिक हलचल, क्राइम, प्राकृतिक आपदाएं, स्थानीय विकास तक हर क्षेत्र की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबरें मिलेंगी. MP CG News in Hindi: अगर आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं, तो दोनों राज्यों की ताजा खबरें पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें. यहां आपको भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे प्रमुख शहरों के समाचार और सभी जरूरी अपडेट्स मिलेंगे. इसके अलावा आपको राजनीति, अपराध, मौसम, प्रशासन, क्षेत्र के विकास से जुड़ी और अन्य काम की खबरें भी मिलेंगी. चलिए जानते हैं आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या-क्या है खास. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें...

अनूपपुर में जहरीला पदार्थ खाने के 8 मामले
अनूपपुर जिला अस्पताल में एक ही दिन में जहरीले पदार्थ के सेवन के 8 मामले सामने आए हैं. तीन पुरुषों और पांच महिलाओं को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया. सभी का जिला चिकित्सालय अनूपपुर में इलाज किया गया. जहरीले पदार्थ के सेवन के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है.

बिलासपुर पहुंचे RSS प्रमुख डॉ मोहन भागवत
RSS प्रमुख डॉ मोहन भागवत आज दो दिवसीय दौरे पर बिलासपुर पहुंचे. बिलासपुर में बौद्धिक वर्ग को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सपनों का भारत बनाना है, तो तन, मन, धन से प्रयास करना होगा. संघ प्रमुख आज छत्तीसगढ़ प्रांत क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे. संगठन विस्तार और प्रबोधन के विषय पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे. बैठक में संघ के कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे.

स्केटिंग से चारधाम यात्रा पर निकले झारखंड के दो भाई
झारखंड के दो सगे भाई अंकित कुमार साहू और सौरभ साहू स्केटिंग से चारधाम, 12 ज्योतिर्लिंग और पांच केदार की यात्रा पर निकले हैं. वे आज खरगोन जिले से गुजर रहे हैं. उन्होंने 6 महीने में 10500 किलोमीटर का सफर तय किया है. दोनों भाई रोजाना 70 से 80 किलोमीटर स्केटिंग कर रहे हैं और देशप्रेम, आस्था और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं.

मुरिया दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुरिया दरबार में कहा कि यह रस्म काफी ऐतिहासिक है. उन्होंने कहा कि बस्तर दशहरा समाधान और आस्था का बड़ा पर्व है. राज्य में नक्सल समस्या एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब आदिवासी खुशी से त्योहार मना रहे हैं.

ग्वालियर से युवक का अपहरण, केस दर्ज
ग्वालियर में एक युवक का अपहरण कर लिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

खरगोन में लाल मिर्च की नीलामी शुरू
खरगोन के बलवाड़ी कृषि उपज मंडी में आज से लाल मिर्च की नीलामी शुरू हो गई है. शुभ मुहूर्त में लाल मिर्च का भाव 1811 रुपये प्रति किलो रहा. पूर्व कृषि राज्यमंत्री और खरगोन विधायक बालकृष्ण पाटीदार की पहल पर शुरू हुई इस मंडी से किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए बैड़िया, धामनोद और इंदौर नहीं जाना पड़ेगा.

सीधी में धर्मांतरण के खिलाफ प्रदर्शन
सीधी जिला मुख्यालय में धर्मांतरण के खिलाफ हजारों ग्रामीण सड़कों पर उतरे. धर्मरक्षा समिति के बैनर तले लोगों ने पैदल मार्च करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा. प्रदर्शनकारियों ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार महिला आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की मांग की.

VIT भोपाल मामले में NHRC सख्त
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने VIT भोपाल के नाम और उसके वास्तविक भौगोलिक स्थान को लेकर सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने राज्य सरकार और UGC से महीनेभर में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने जांच प्रतिवेदन को भ्रामक माना. दरअसल, VIT सीहोर में है, लेकिन नाम के साथ भोपाल इस्तेमाल हो रहा है. वैधानिक नाम और वास्तविक स्थान के बीच लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है. अवैध क्लिनिक और परिसर में अशांति के आरोपों की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं.

अनूपपुर में कोयले से भरी ट्रेन की चपेट में आया पिकअप वाहन
अनूपपुर में चचाई के संजयनगर में देर रात बड़ा हादसा हुआ. एक पिकअप वाहन कोयले से भरी ट्रेन की चपेट में आ गया. हादसे में एक की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं. घायलों को जिला चिकित्सालय अनूपपुर पहुंचाया गया है.

उज्जैन में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद, युवक के कान पर हमला
उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में घर के सामने बोलेरो खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ. दो युवकों पर गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप है. एक युवक ने पाइप से हमला कर दूसरे युवक का कान घायल कर दिया. घायल के कान में 8 टांके आए हैं.

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी नीति पर मुहर
छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में धान खरीदी नीति 2026-27 पर मुहर लगेगी. छत्तीसगढ़ में 16 नवंबर से 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी. किसानों की सुविधा के लिए 360 नए धान खरीदी केंद्र खुलेंगे. 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बस्तर दशहरा में शामिल होंगी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बस्तर दशहरा में शामिल होंगी. वह सुबह 11:15 बजे जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगी. एयरपोर्ट से मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगी. राष्ट्रपति सुबह 11:37 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक सिरहासार भवन में मुरिया दरबार में शामिल होंगी.

भोपाल के 40,000 व्यापारियों पर संकट
भोपाल के 40 हजार व्यापारियों पर संकट मंडरा रहा है. मास्टर प्लान 2047 के प्रावधानों पर व्यापारी महासंघ को आपत्ति है. मास्टर प्लान लागू होने से कारोबार प्रभावित होने की आशंका है. आपत्ति दर्ज कराने के लिए व्यापारी आज TNCP कार्यालय पहुंचेंगे.

मुंगेली में नाबालिग युवती का प्रेमी ही निकला हत्यारा
मुंगेली में नाबालिग युवती का प्रेमी ही हत्यारा निकला. वह प्रेमिका पर शक करता था. किसी और युवक से बात करते देख लेने पर उसकी हत्या कर दी. हत्यारा प्रेमी अजीत और उसका साथी साहिल गिरफ्तार हो गए हैं.

मुरैना में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सैंपलिंग तेज
मुरैना में दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की सैंपलिंग तेज हो गई है.

भारतीय किसान संघ का TNCP कार्यालय घेराव
भारतीय किसान संघ आज TNCP कार्यालय घेरेगा. कृषि भूमि का लैंड यूज बदलने का विरोध किया जा रहा है.

मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 12 नवंबर को उपचुनाव
मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 12 नवंबर को उपचुनाव होगा. बीजेपी का प्रत्याशी दिल्ली से ही तय होगा. एल मुरुगन की सीट पर फिर कोई बाहरी राज्यसभा जा सकता है. पूर्व IAS एसके संधू, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और तमिलनाडु से वानती श्रीनिवासन के नाम की चर्चा है. MP के पूर्व मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की भी संभावना है.

रीवा में बागेश्वर बाबा पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भव्य स्वागत
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के रीवा आगमन पर भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. रीवा पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान उनके दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े. रीवा आगमन के दौरान पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री मध्य प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के निजी निवास पहुंचे.

Source: https://www.mpbreakingnews.in/bhopal/nsui-complaint-vit-university-national-human-rights-commission-issued-notices-ugc-mp-government-11-934701/amp

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने UGC और एमपी सरकार को VIT यूनिवर्सिटी मामले में भेजा नोटिस, NSUI की शिकायत पर एक्शन
Oct 23, 2026 01:09 pm IST
By Atul Saxena
एमपी ब्रेकिंग, भोपाल

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि 30 मार्च 2026 और 5 जून 2026 को निर्देश जारी किए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है, मामला वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (VIT) भोपाल विश्वविद्यालय के नाम और उसके वास्तविक भौगोलिक स्थान सीहोर को लेकर जुड़ा है, आयोग ने चार सप्ताह के भीतर पुनः अतिरिक्त रिपोर्ट एवं कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

VIT यूनिवर्सिटी मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ द्वारा उठाए गए सवालों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष को फटकार लगाई है। बता दें NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि VIT भोपाल विश्वविद्यालय अपने नाम में 'भोपाल' शब्द का इस्तेमाल कर विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में विश्वविद्यालय की लोकेशन को लेकर भ्रम पैदा कर रहा है, जबकि उसका मुख्य परिसर सीहोर जिले के कोठरी कलां में भोपाल-इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय के नाम और वास्तविक स्थान के बीच लगभग 100 किलोमीटर का अंतर होने के कारण प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को परेशानी होती है और वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं।

आयोग ने सरकार की रिपोर्ट में उठाये सवाल
शिकायत पर गौर करने के बाद आयोग ने कहा कि VIT भोपाल विश्वविद्यालय का नाम राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया गया है और इसकी स्थापना मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत हुई है। आयोग ने दस्तावेजों को देखने के बाद कहा कि विश्वविद्यालय के वैधानिक नाम और उसके वास्तविक स्थान के बीच लगभग 100 किलोमीटर की दूरी है। नोटिस में आयोग ने यह भी सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय अपने प्रॉस्पेक्टस, आधिकारिक वेबसाइट और विज्ञापनों में अपनी लोकेशन का उल्लेख किस प्रकार करता है। इस पहलू की जांच किए बिना केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि विश्वविद्यालय का नाम कानून के तहत निर्धारित किया गया है।

अवैध क्लिनिक और परिसर में अशांति के आरोप
NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की शिकायत में विश्वविद्यालय परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक के संचालन और पूर्व में परिसर में अशांति की घटनाओं का भी मुद्दा उठाया गया था। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में इन आरोपों की जांच किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। आयोग के निर्देशों के अनुसार, अब राज्य सरकार को अतिरिक्त रिपोर्ट में इन सवालों पर स्थिति स्पष्ट करनी होगी।

राजपत्र की तारीख में अंतर पर माँगा स्पष्टीकरण
मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में एक अन्य महत्वपूर्ण विसंगति की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। विभागीय पत्र में 24 अगस्त 2017 की राजपत्र अधिसूचना का उल्लेख किया गया था, जबकि संलग्न दस्तावेज 13 जून 2017 का मध्य प्रदेश असाधारण राजपत्र था, जिसमें वर्ष 2007 के अधिनियम की अनुसूची में संशोधन से संबंधित विवरण शामिल है। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह दोनों दस्तावेजों के बीच संबंध स्पष्ट करे तथा यह भी बताए कि 24 अगस्त 2017 की अधिसूचना में क्या उल्लेख है।

UGC की भूमिका पर आयोग ने की टिप्पणी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि 30 मार्च 2026 और 5 जून 2026 को निर्देश जारी किए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग की ओर से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग ने कहा कि [विश्वविद्यालयों के नामकरण और मानकों को तय करने] में UGC की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयोग ने UGC के अध्यक्ष को कथित भ्रामक नामकरण के संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है वहीं, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को भी मामले में अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

NSUI ने की ये मांग

NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने मांग की है कि विश्वविद्यालय के नाम और वास्तविक लोकेशन के संबंध में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को स्पष्ट, सटीक और भ्रामकता से मुक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए। विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस, वेबसाइट और विज्ञापनों की निष्पक्ष जांच की जाए तथा शिकायत में उठाए गए सभी बिंदुओं पर जिम्मेदारी तय की जाए। संगठन ने यह भी मांग की है कि परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक के संचालन और अशांति से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोष पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जवाब देने की अंतिम तारीख 29 नवंबर

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संबंधित अतिरिक्त एवं पूर्ण प्रतिवेदन 29 नवंबर 2026 तक प्रस्तुत करने को कहा है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मध्य प्रदेश शासन और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शिकायत में उठाए गए सवालों पर क्या तथ्य प्रस्तुत करते हैं और कथित अनियमितताओं की जांच के लिए क्या कदम उठाते हैं। NSUI ने उम्मीद जताई है कि आयोग के हस्तक्षेप से विद्यार्थियों के हितों की रक्षा, प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वविद्यालयों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कार्रवाई होगी।

Source: https://breakingtube.com/nhrc-issues-notice-regarding-digvijaya-singhs-padyatra-foot-march-seeks-response-over-complaints-of-children-being-made-to-chant-slogans/

दिग्विजय सिंह की पदयात्रा पर NHRC का नोटिस, बच्चों से नारे लगवाने की शिकायत पर मांगा जवाब
By Editor -23/10/2026

भोपाल। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों को शामिल करने और उनसे राजनीतिक नारे लगवाने के आरोपों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी कर मामले की जांच कराने और दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के 22 अक्टूबर 2026 के पत्र के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिग्विजय सिंह की यात्रा में बच्चों से राजनीतिक नारे लगवाए गए। इस कथित घटना के वीडियो और तस्वीरें 22 अक्टूबर को फेसबुक पर साझा किए जाने का भी उल्लेख शिकायत में किया गया है। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि बच्चों को यात्रा में लाने के लिए पैसे दिए गए होंगे। उसने मामले की जांच कर आयोजकों और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

बाल अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच होगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने संरक्षण मानवाधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 12 के तहत मामले का संज्ञान लिया है। आयोग ने शिकायत में लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन प्रतीत होने वाला बताया है।

आयोग ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कराई जाए। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या बच्चों को पैसे देकर यात्रा में शामिल किया गया था या किसी तरह से उनका इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही लागू बाल संरक्षण कानूनों के संभावित उल्लंघन की भी जांच करने को कहा गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी नोटिस। आयोग ने केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को भी निर्देश दिए हैं कि कथित घटना से जुड़े बच्चों के वीडियो और तस्वीरों के इस्तेमाल के मामले को देखें और अपनी कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों से पत्र प्राप्त होने के दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। फिलहाल आयोग के पत्र में आरोपों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि या किसी की जिम्मेदारी तय होने का उल्लेख नहीं है।

'दुर्योधन को सिंहासन दिलाने पदयात्रा कर रहा धृतराष्ट्र'-विधायक

प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की 'सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा' को लेकर गुना से भाजपा विधायक पन्नालाल शाक्य ने प्रतिक्रिया दी है। शाक्य ने तंज कसते हुए सिंह को 'धृतराष्ट्र' की संज्ञा दी और कहा कि वह अपने 'दुर्योधन' को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाने के लिए यह पदयात्रा कर रहे हैं।

सनातन के प्रतीकों से आपत्ति क्यों?

विधायक शाक्य ने गुरुवार को अपने कार्यालय में प्रेस कान्फ्रेंस कर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पदयात्रा पर निशाना साधा। शाक्य ने महाकाल दर्शन के दौरान दिग्विजय द्वारा गमछा लौटाने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सनातन प्रतीकों से इतनी ही आपत्ति है, तो यात्रा महाकाल के बजाए जावरा या अजमेर से शुरू करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि जब महाकाल से यात्रा शुरू कर रहे हो, तो उनके प्रसाद का अपमान मत करो। सनातन हो, हिन्दुपथ की संतान हो, तो हिंदुत्व के चिन्हों को जीवित रहने दो।

वोट चोरी के आरोप पर पलटवार

कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए विधायक शाक्य ने कहा कि यदि थोड़ी भी शालीनता हो, तो इतिहास देखें। उन्होंने कहा कि जब नीतीश भारद्वाज, प्यारेलाल खंडेलवाल और कैलाश जोशी चुनाव लड़े थे, क्या उस समय वोट चोरी नहीं हुई थी। वोट चोरी तो आपके जमाने से ही चली आ रही है। आज वे लोग उनके पक्ष में माहौल बना रहे हैं, जो विदेशियों के हाथों में खेल रहे हैं।

दिग्विजय सिंह की उम्र पर तंज कसते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि 85 साल की उम्र हो गई है, अब अपने अनुचर को उसकी खुद की क्षमता पर छोड़ देना चाहिए। उसमें खुद कितनी क्षमता या योग्यता है, वह अपने आप बन जाएगा। उसे अभी भी अंगुली पकड़कर चलना सिखाने की क्या जरूरत है।

‘अभी तो 10-12 साल हुए, इतने में बौखला गए’

रिजीम चेंज (सत्ता पलट) के सवाल पर विधायक शाक्य ने हंसते हुए कहा कि हिंदुस्तान में तो सत्ता जब पलटी है, जब कोई घर के भेदी ने भेद दिया है। आज जो स्थिति बनती जा रही है, वैसी तो कोई विशेष बात नहीं बनी। अभी देखते जाओ, उनका क्या-क्या होने वाला है। अभी तो दो ही अंदर हुए हैं, तीसरा जब अंदर होगा, तब मालूम पड़ेगा। उसने तो बोल दिया ना कि मैं नहीं हूं, मेरे पीछे तो कोई और डायरेक्शन दे रहा है। लेकिन ऐसे लोगों का हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। शाक्य ने कहा कि अभी तो 10-12 साल ही हुए हैं, इतने में ही बौखला गए। एक हजार वर्ष तक दूसरों के गुलाम रहे, तब नहीं बौखलाए थे।

20 अक्टूबर को उज्जैन से शुरू हुई यात्रा। दिग्विजय सिंह की करीब 950 किलोमीटर की ‘सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा’ 20 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन उज्जैन से शुरू हुई थी। यात्रा का लक्ष्य ओरछा स्थित रामराजा सरकार मंदिर होते हुए अयोध्या के श्रीराम मंदिर तक पहुंचना है। यात्रा के घोषित उद्देश्यों में धार्मिक स्थलों पर चंदे और चढ़ावे में पारदर्शिता, कथित अनियमितताओं की जांच तथा वोट चोरी के आरोपों पर जवाबदेही की मांग शामिल है। यात्रा की शुरुआत से पहले उज्जैन में चिंतामण गणेश और महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन-पूजन किया गया था। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग पूजन, कन्या भोज और भंडारे के आयोजन के साथ पदयात्रा शुरू हुई। गुरुवार को तराना पहुंची पदयात्रा यात्रा के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, 21 अक्टूबर को पदयात्रा उज्जैन से देवास जिले के सिंदुरिया गांव पहुंची। तीसरे दिन, 22 अक्टूबर को सिंदुरिया से तराना तक 15 किलोमीटर की पदयात्रा के बाद तराना में रात्रि विश्राम कर रही है।

Source: https://thesootr.com/state/madhya-pradesh/vit-bhopal-location-dispute-nhrc-report-nsui/amp_articleshow/135140711.html

वीआईटी भोपाल विवाद में NHRC सख्त, राज्य सरकार से 4 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट, नाम और परिसर की लोकेशन पर हो रहा विवाद
Manya Jain | Sootr Creatives | Oct 23, 2026, 14:45 IST

वीआईटी भोपाल के नाम को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है। विश्वविद्यालय का नाम भोपाल से जुड़ा है। इसका परिसर सीहोर जिले के कोठरी कलां में स्थित है। एनएसयूआई ने इसी अंतर को लेकर शिकायत की है। संगठन का कहना है कि नाम से छात्रों को भ्रम हो सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिकायत पर संज्ञान लिया है। आयोग ने 22 अक्टूबर को राज्य सरकार को निर्देश दिए। सरकार से चार सप्ताह में अतिरिक्त रिपोर्ट मांगी गई है। फिलहाल आयोग ने किसी आरोप पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मामले की स्थिति और स्पष्ट होगी।

एनएसयूआई की शिकायत में क्या आरोप हैं?

एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय के नाम और वास्तविक लोकेशन पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि नाम से भ्रम पैदा हो सकता है। विद्यार्थी इसे भोपाल में स्थित विश्वविद्यालय समझ सकते हैं। अभिभावकों को भी इसकी लोकेशन को लेकर गलतफहमी हो सकती है। विश्वविद्यालय का परिसर भोपाल-इंदौर मार्ग पर बना है। यह जगह सीहोर जिले के कोठरी कलां में आती है। आयोग ने शिकायत के आधार पर सरकार से जवाब मांगा है। अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी भी मांगी गई है।

नाम कानून से तय, लेकिन लोकेशन पर सवाल

राज्य सरकार ने आयोग को पहले एक रिपोर्ट भेजी थी। आयोग ने 22 अक्टूबर को इस रिपोर्ट की जांच की। रिपोर्ट में विश्वविद्यालय के नाम से जुड़े दस्तावेज भी शामिल थे। सरकार के मुताबिक विश्वविद्यालय का नाम कानून के तहत तय है। इसलिए नाम को कानूनी रूप से मान्यता मिली हुई है। आयोग का सवाल नाम से ज्यादा लोकेशन की जानकारी पर है। शिकायत में भोपाल से परिसर की दूरी करीब 100 किलोमीटर बताई है। सरकारी जवाब में इस सवाल पर साफ जानकारी नहीं मिली है।

वेबसाइट और विज्ञापनों में लोकेशन कैसे बताई जाती है?

आयोग ने विश्वविद्यालय के प्रचार माध्यमों पर भी सवाल पूछे हैं। इनमें वेबसाइट और विज्ञापन शामिल हैं। प्रवेश से जुड़ा प्रॉस्पेक्टस भी जांच के दायरे में है। आयोग ने पूछा कि परिसर की सही लोकेशन कैसे बताई जाती है। क्या वेबसाइट पर पूरा पता साफ दिखाई देता है? क्या विज्ञापनों में सीहोर जिले का जिक्र होता है? प्रॉस्पेक्टस में विद्यार्थियों को क्या जानकारी दी जाती है? आयोग ने केवल कानूनी नाम बताना पर्याप्त नहीं माना। विद्यार्थियों को वास्तविक लोकेशन की स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए। अभिभावकों को भी परिसर का सही पता मालूम होना जरूरी है।

उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट में क्या कमी?

आयोग ने उच्च शिक्षा विभाग की रिपोर्ट को अधूरा माना है। यूजीसी की रिपोर्ट में भी कुछ आरोपों की जानकारी नहीं मिली है। शिकायत में दो अन्य मुद्दे भी उठाए गए थे। पहला आरोप परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक से जुड़ा है। दूसरा मुद्दा परिसर में पहले हुई अशांति से संबंधित है। आयोग को इन आरोपों की जांच का पूरा ब्योरा नहीं मिला है। अब आयोग ने सरकार से इन विषयों पर जवाब मांगा है। इन आरोपों की सच्चाई अभी साबित नहीं हुई है।

पहले भी विवादों में रहा कैंपस

वीआईटी भोपाल का परिसर पहले भी अलग-अलग घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है।

जुलाई 2022: हनुमान चालीसा पर जुर्माना

जुलाई 2022 में सात विद्यार्थियों पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाने की खबर सामने आई थी। इन छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। रिपोर्ट के मुताबिक, छात्रों ने हॉस्टल की सुविधाओं के विरोध में पाठ किया था। विश्वविद्यालय ने अपने बयान में कहा था कि छात्रों ने शांति के समय तेज आवाज में शोर किया था। इस मामले में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए थे।

नवंबर 2025: पीलिया के आरोप और प्रदर्शन

नवंबर 2025 में विद्यार्थियों ने परिसर में प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन 25 और 26 नवंबर को हुआ था। इसमें करीब तीन से चार हजार विद्यार्थी शामिल बताए गए। विद्यार्थियों ने खाने और पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। परिसर में पीलिया फैलने का आरोप भी लगाया गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ वाहनों में आग लगने की खबर आई। विश्वविद्यालय ने 30 नवंबर तक छुट्टी घोषित कर दी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कृष्णा गौर को परिसर भेजा। तत्कालीन रजिस्ट्रार केके नायर ने तीन मौतों के दावे खारिज किए थे।

मार्च 2026: नाम को लेकर पहले भी शिकायत

मार्च 2026 में भी नाम को लेकर शिकायत सामने आई थी। द हितवाद ने 29 मार्च को इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के मुताबिक आयोग ने शिकायत पर मामला दर्ज किया था। शिकायत में नाम और वास्तविक लोकेशन का अंतर उठाया गया था। परिसर को भोपाल से करीब 100 किलोमीटर दूर बताया गया। यानी मामला अक्टूबर की कार्रवाई से पहले आयोग तक पहुंच चुका था।

अब आगे क्या होगा?

राज्य सरकार को आयोग के सामने अतिरिक्त रिपोर्ट देनी होगी। इसमें नाम और लोकेशन का अंतर स्पष्ट करना होगा। वेबसाइट और विज्ञापनों की जानकारी भी बतानी होगी। कथित अनधिकृत क्लिनिक पर हुई जांच का ब्योरा देना होगा। पहले हुई घटनाओं पर कार्रवाई भी स्पष्ट करनी होगी। रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख 29 नवंबर बताई गई है। सरकार के जवाब के बाद आयोग आगे की कार्रवाई तय करेगा। फिलहाल किसी आरोप को साबित मानना उचित नहीं होगा।

FAQ

- वीआईटी भोपाल मामले में एनएचआरसी ने क्या निर्देश दिए हैं?
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने राज्य सरकार से चार सप्ताह में अतिरिक्त रिपोर्ट मांगी है, जिसकी अंतिम तारीख 29 नवंबर है। आयोग ने अभी किसी आरोप पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है।

- एनएसयूआई की शिकायत में विश्वविद्यालय के नाम को लेकर क्या आपत्ति है?
एनएसयूआई नेता रवि परमार का आरोप है कि विश्वविद्यालय के नाम में 'भोपाल' होने से विद्यार्थियों को परिसर की लोकेशन को लेकर भ्रम हो सकता है, जबकि उसका परिसर सीहोर जिले के कोठरी कलां में स्थित है।

- राज्य सरकार ने वीआईटी भोपाल का नाम कानूनी रूप से कैसे तय किया है?
राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, विश्वविद्यालय का नाम संबंधित कानून के तहत निर्धारित किया गया है, लेकिन आयोग ने नाम और परिसर की वास्तविक लोकेशन के बीच संभावित भ्रम पर स्पष्ट जानकारी मांगी है।

Source: https://www.haribhoomi.com/state-local/madhya-pradesh/news/nhrc-seeks-action-report-vit-bhopal-name-controversy-118875

VIT भोपाल के नाम पर एनएचआरसी सख्त: यूजीसी और सरकार से एक महीने में मांगी कार्रवाई रिपोर्ट

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वीआईटी भोपाल के नाम और उसके वास्तविक स्थान को लेकर सवाल उठाए हैं। आयोग ने मध्यप्रदेश शासन और UGC की कार्रवाई पर असंतोष जताया। अब दोनों से एक महीने में कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।

By: Anoorag Sharma Published: 23 Oct 2026, 03:02 PM IST
Last Updated: 23 Oct 2026, 03:02 PM IST

भोपाल। सीहोर में स्थित वीआईटी (VIT) विश्वविद्यालय के नाम में भोपाल का इस्तेमाल किए जाने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और मध्यप्रदेश शासन की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए दोनों से एक महीने के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कहा है कि पहले भेजी गई जांच रिपोर्ट में मामले के प्रमुख आरोपों की जांच का उल्लेख नहीं है।

जांच रिपोर्ट को आयोग ने माना भ्रामक
मामले में आयोग ने जांच प्रतिवेदन पर सवाल उठाते हुए उसे भ्रामक माना है। आयोग की आपत्ति विश्वविद्यालय के नाम और उसके वास्तविक भौगोलिक स्थान के बीच अंतर को लेकर है। वीआईटी का परिसर सीहोर में है, जबकि उसके नाम के साथ भोपाल का इस्तेमाल किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, नाम में दर्ज स्थान और वास्तविक परिसर के बीच करीब 100 किलोमीटर की दूरी है। आयोग ने इस बात पर भी सवाल उठाया है कि विश्वविद्यालय के नाम और वास्तविक स्थान के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर स्पष्ट कार्रवाई की जानकारी क्यों नहीं दी गई।

अवैध क्लिनिक और परिसर में अशांति के आरोपों की जांच पर सवाल
मामले में विश्वविद्यालय परिसर में कथित अवैध क्लिनिक और अशांति से जुड़े आरोप भी उठाए गए थे। आयोग के अनुसार, भेजी गई जांच रिपोर्ट में इन आरोपों की जांच किए जाने का उल्लेख नहीं है। ऐसे में रिपोर्ट में मामले के सभी प्रमुख पहलुओं को शामिल नहीं किए जाने पर असंतोष जताया गया है।

UGC से जवाब नहीं मिलने पर भी नाराजगी
आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 30 मार्च 2026 और 5 जून 2026 को निर्देश दिए थे। इसके बावजूद उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, UGC की ओर से जवाब नहीं दिया गया। आयोग ने अब मध्यप्रदेश शासन और UGC दोनों से एक महीने के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) पेश करने को कहा है। अब संबंधित संस्थाओं को आयोग के निर्देशों के अनुसार अपनी कार्रवाई और जांच से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। मामले में आगे की स्थिति उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद स्पष्ट होगी।

Source: https://www.amarujala.com/madhya-pradesh/bhopal/university-in-sehore-but-bhopal-in-its-name-national-human-rights-commission-seeks-response-from-the-gover-2026-10-23

Hindi News › Madhya Pradesh › Bhopal News › University in Sehore, but 'Bhopal' in its name: National Human Rights Commission seeks a response from the gov

यूनिवर्सिटी सीहोर में, नाम में भोपाल: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से मांगा जवाब, 29 नवंबर तक डेडलाइन
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, भोपाल Published by: Sandeep Kumar Tiwari Updated Fri, 23 Oct 2026 05:16 PM IST

वीआईटी भोपाल के नाम और सीहोर जिले में स्थित परिसर की लोकेशन को लेकर एनएसयूआई की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से अतिरिक्त रिपोर्ट मांगी है। वेबसाइट, विज्ञापनों और कथित अनधिकृत क्लिनिक सहित अन्य आरोपों पर जानकारी देने के लिए 29 नवंबर तक का समय दिया गया है।

भोपाल नाम से पहचाने जाने वाले वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) को लेकर उठे सवालों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से दोबारा जवाब मांगा है। विश्वविद्यालय का परिसर सीहोर जिले के कोठरी कलां में स्थित है। ऐसे में नाम और वास्तविक लोकेशन के बीच अंतर से विद्यार्थियों और अभिभावकों को भ्रम होने की आशंका पर आयोग ने रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अतिरिक्त रिपोर्ट और कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए 29 नवंबर की तारीख तय की गई है। मामला राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के नाम में भोपाल शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। शिकायत में कहा गया कि नाम के कारण विद्यार्थी और अभिभावक परिसर की वास्तविक स्थिति को लेकर गलत धारणा बना सकते हैं। अब आयोग ने राज्य सरकार से इस आशंका पर स्पष्ट जवाब मांगा है।

कानून से मिला नाम, लेकिन विद्यार्थियों के भ्रम पर जवाब अधूरा
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 22 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों पर विचार किया। आयोग ने माना कि वीआईटी भोपाल का नाम मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित किया गया है। हालांकि, आयोग के सामने सवाल केवल नाम की वैधानिकता का नहीं है। असल मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय के नाम में भोपाल होने के बावजूद उसका परिसर सीहोर जिले में स्थित है, तो क्या इससे दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को स्थान के बारे में भ्रम हो सकता है? आयोग के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में इस पहलू पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

वेबसाइट और विज्ञापनों में क्या बताया जाता है?
आयोग ने विश्वविद्यालय की प्रचार सामग्री को लेकर भी सवाल उठाए हैं। विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस, आधिकारिक वेबसाइट और विज्ञापनों में परिसर की वास्तविक लोकेशन किस तरह बताई जाती है, इसकी जानकारी मांगी गई है।इस मामले में विश्वविद्यालय के नाम को कानून के तहत तय होना बताना पर्याप्त नहीं माना गया है। आयोग यह जानना चाहता है कि दाखिले से पहले विद्यार्थियों को परिसर के वास्तविक स्थान की स्पष्ट जानकारी मिलती है या नहीं। राज्य सरकार को अब इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी।

क्लिनिक और अशांति के आरोपों पर भी मांगी जानकारी
शिकायत में विश्वविद्यालय परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक के संचालन और पूर्व में अशांति की घटनाओं से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। आयोग ने गौर किया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में इन आरोपों की जांच के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। अब अतिरिक्त रिपोर्ट में इन पहलुओं पर की गई कार्रवाई और जांच की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी। हालांकि, आयोग की इस कार्रवाई को विश्वविद्यालय के खिलाफ आरोपों की पुष्टि या किसी अंतिम दोष निर्धारण के रूप में नहीं देखा जा सकता।मामले में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 29 नवंबर है। राज्य सरकार की नई रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि विश्वविद्यालय के नाम,

वास्तविक लोकेशन और विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी के संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं और शिकायत के अन्य बिंदुओं पर क्या कार्रवाई की गई है।

Source: https://www.agniban.com/university-in-sehore-bhopal-in-its-name-national-human-rights-commission-seeks-response-from-government/

यूनिवर्सिटी सीहोर में, नाम में भोपाल: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार से मांगा जवाब
October 23, 2026 Digvijay

भोपाल। भोपाल नाम से पहचाने जाने वाले वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर उठे सवालों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार से दोबारा जवाब मांगा है। विश्वविद्यालय का परिसर सीहोर जिले के कोठरी कलां में स्थित है। ऐसे में नाम और वास्तविक लोकेशन के बीच अंतर से विद्यार्थियों और अभिभावकों को भ्रम होने की आशंका पर आयोग ने रिपोर्ट में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर अतिरिक्त रिपोर्ट और कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए 29 नवंबर की तारीख तय की गई है। मामला राष्ट्रीय छात्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने विश्वविद्यालय के नाम में भोपाल शब्द के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। शिकायत में कहा गया कि नाम के कारण विद्यार्थी और अभिभावक परिसर की वास्तविक स्थिति को लेकर गलत धारणा बना सकते हैं। अब आयोग ने राज्य सरकार से इस आशंका पर स्पष्ट जवाब मांगा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 22 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेजों पर विचार किया। आयोग ने माना कि वीआईटी भोपाल का नाम मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 के तहत निर्धारित किया गया है। हालांकि, आयोग के सामने सवाल केवल नाम की वैधानिकता का नहीं है। असल मुद्दा यह है कि विश्वविद्यालय के नाम में भोपाल होने के बावजूद उसका परिसर सीहोर जिले में स्थित है, तो क्या इससे दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को स्थान के बारे में भ्रम हो सकता है? आयोग के मुताबिक, राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट में इस पहलू पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।

आयोग ने विश्वविद्यालय की प्रचार सामग्री को लेकर भी सवाल उठाए हैं। विश्वविद्यालय के प्रॉस्पेक्टस, आधिकारिक वेबसाइट और विज्ञापनों में परिसर की वास्तविक लोकेशन किस तरह बताई जाती है, इसकी जानकारी मांगी गई है। इस मामले में विश्वविद्यालय के नाम को कानून के तहत तय होना बताना पर्याप्त नहीं माना गया है। आयोग यह जानना चाहता है कि दाखिले से पहले विद्यार्थियों को परिसर के वास्तविक स्थान की स्पष्ट जानकारी मिलती है या नहीं। राज्य सरकार को अब इस संबंध में तथ्यात्मक जानकारी देनी होगी।

शिकायत में विश्वविद्यालय परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक के संचालन और पूर्व में अशांति की घटनाओं से जुड़े आरोप भी शामिल हैं। आयोग ने गौर किया कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में इन आरोपों की जांच के संबंध में जानकारी नहीं दी गई है। अब अतिरिक्त रिपोर्ट में इन पहलुओं पर की गई कार्रवाई और जांच की स्थिति भी स्पष्ट करनी होगी। हालांकि, आयोग की इस कार्रवाई को विश्वविद्यालय के खिलाफ आरोपों की पुष्टि या किसी अंतिम दोष निर्धारण के रूप में नहीं देखा जा सकता।

मामले में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 29 नवंबर है। राज्य सरकार की नई रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि विश्वविद्यालय के नाम, वास्तविक लोकेशन और विद्यार्थियों को दी जाने वाली जानकारी के संबंध में क्या तथ्य सामने आते हैं और शिकायत के अन्य बिंदुओं पर क्या कार्रवाई की गई है।

Source: https://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/lucknow/story-nhrc-seeks-report-from-lucknow-dm-in-thakurganj-hospital-dead-patient-treatment-case-201792765210093.html

Lucknow News: मौत के बाद शव के इलाज पर मानवाधिकार आयोग सख्त, डीएम तलब
Oct 23, 2026 07:50 pm IST
By Hindustan | Bureau हिन्दुस्तान , लखनऊ

Lucknow News: - मरीज की मौत के दो साल बाद परिजनों को इंसाफ की उम्मीद जगी -

Lucknow News: मरीज की मौत के दो साल बाद परिजनों को इंसाफ की उम्मीद जगी। ठाकुरगंज के निजी अस्पताल में मरीज की मौत के लगभग दो साल बाद शव के इलाज का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। पांच लाख रुपये की वसूली की शिकायत का आयोग ने संज्ञान लिया है। पूरे मामले में जिलाधिकारी से जवाब मांगा है। यदि तय समय पर रिपोर्ट आयोग को नहीं भेजी जाएगी तो जिलाधिकारी को आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

ये थी घटना
ठाकुरगंज स्थित निजी अस्पताल में वर्ष 2024 को सीतापुर के अटरिया दरियापुर गांव निवासी डेंगू पीड़ित विशाल पांडेय को भर्ती किया गया था। हालत गंभीर होने पर मरीज को वेंटिलेटर पर भर्ती किया गया था। परिजनों का आरोप था मौत के बाद मरीज को पांच दिन तक वेंटिलेटर पर भर्ती रखा गया। जबरन वार्ड में घुसने पर विशाल मृत पाया गया था। उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। परिवारीजनों का आरोप है कि पैसे के लालच में लाश का इलाज करते रहे। पांच लाख रुपये की वसूली की थी। मौत के बाद इलाज का आरोप लगाते हुए परिवारीजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया था।

आयोग की कार्रवाई और जिलाधिकारी को समन
महाराष्ट्र के ठाणे निवासी शिकायतकर्ता आसिफ आबिद खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में परिजनों को इंसाफ दिलाने के लिए फरियाद की थी। आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव वी हेकाली झिमोमी को जांच के निर्देश दिए हैं। आयोग ने 21 जनवरी 2025 को संज्ञान लेते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी को आवश्यक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 22 अगस्त 2025 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ की आख्या आयोग को प्राप्त हुई। इसमें चिकित्सकीय विशेषज्ञ की राय मांगे जाने का जिक्र किया गया था। आयोग ने 30 जनवरी 2026 को जिलाधिकारी को दो सप्ताह के भीतर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन आयोग को जवाब नहीं मिला। इस पर आयोग ने नाराजगी जताई। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी को समन जारी किया है। आयोग ने आख्या सहित जिलाधिकारी को 8 दिसंबर 2026 को सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित आयोग के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि यदि आख्या पहली दिसंबर तक उपलब्ध करा दी जाती है तो व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।

Source: https://peoplesupdate.com/nhrc-notice-vit-bhopal-university-location-confusion-sehore-215303

VIT University Case: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने UGC और उच्च शिक्षा विभाग को भेजा नोटिस

VIT University Case: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने UGC और उच्च शिक्षा विभाग को भेजा नोटिस वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय के नाम और सीहोर जिले में स्थित उसके परिसर की लोकेशन को लेकर एनएसयूआई की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूजीसी और मध्यप्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। आयोग ने विश्वविद्यालय के नाम से विद्यार्थियों और अभिभावकों में संभावित भ्रम तथा परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक और अशांति से जुड़ी शिकायतों पर जवाब मांगा है।

Publish Date: 23 Oct 2026, 9:56 PM (IST)

भोपाल। वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (वीआईटी) भोपाल विश्वविद्यालय से जुड़े मामले में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की शिकायत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया है। बता दें, मामला भोपाल विश्वविद्यालय के नाम और उसके वास्तविक भौगोलिक स्थान सीहोर को लेकर जुड़ा है। मामले में आयोग ने चार सप्ताह के भीतर पुनः अतिरिक्त रिपोर्ट एवं कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2026 दी गई है।

‘भोपाल’ शब्द का इस्तेमाल कर भ्रम
एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीआईटी भोपाल विश्वविद्यालय अपने नाम में ‘भोपाल’ शब्द का इस्तेमाल कर विद्यार्थियों और अभिभावकों के मन में विश्वविद्यालय की लोकेशन को लेकर भ्रम पैदा कर रहा है, जबकि उसका मुख्य परिसर सीहोर जिले के कोठरी कलां में भोपाल-इंदौर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। बाद में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को परेशानी होती है और वे खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। रवि परमार ने मांग की है कि विश्वविद्यालय के नाम और वास्तविक लोकेशन के संबंध में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को स्पष्ट, सटीक और भ्रामकता से मुक्त जानकारी उपलब्ध कराई जाए। संगठन ने यह भी मांग की है कि परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक के संचालन और अशांति से संबंधित शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा दोष पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

यूनिवर्सिटी की लोकेशन पर सवाल
आयोग ने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय के वैधानिक नाम और वास्तविक स्थान के बीच करीब 100 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद क्या विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के मन में लोकेशन को लेकर गलत धारणा बन सकती है। राज्य सरकार की रिपोर्ट में इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। शिकायत में विश्वविद्यालय परिसर में कथित अनधिकृत क्लिनिक संचालित होने और पूर्व में अशांति की घटनाओं के आरोप भी उठाए गए थे। आयोग ने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट में इन आरोपों की जांच के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

यूजीसी की भूमिका पर भी टिप्पणी
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि 30 मार्च 2026 और 5 जून 2026 को निर्देश जारी किए जाने के बावजूद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग ने यूजीसी के अध्यक्ष को कथित भ्रामक नामकरण के संबंध में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन चार सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है वहीं, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव को भी मामले में अतिरिक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संबंधित अतिरिक्त एवं पूर्ण प्रतिवेदन 29 नवंबर 2026 तक प्रस्तुत करने को कहा है।

Source: https://www.prabhatkhabar.com/state/uttar-pradesh/lucknow-hospital-dead-patient-ventilator-five-days-five-lakh-rupees-nhrc-summons-sitapur-dm

लखनऊ में मौत के बाद भी 5 दिन वेंटिलेटर पर रहा मरीज! 5 लाख वसूलने का आरोप, NHRC ने DM को किया तलब
Author खुशी सिंह
Updated: Sat, 24 Oct 2026 06:56 AM (IST)

UP News: लखनऊ के एक निजी अस्पताल में मौत के बाद भी मरीज को वेंटिलेटर पर रखने और ₹5 लाख वसूलने का गंभीर आरोप लगा है. NHRC ने DM से मांगी रिपोर्ट.
UP News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. ठाकुरगंज के एक निजी अस्पताल पर मरीज की मौत के बाद भी उसे पांच दिन तक वेंटिलेटर पर रखने और इलाज के नाम पर परिजनों से करीब 5 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगा है. मामला सीतापुर निवासी विशाल पांडेय से जुड़ा है. परिजनों का दावा है कि जब वे वार्ड में पहुंचे तो विशाल की मौत हो चुकी थी और शव से दुर्गंध आ रही थी. शिकायत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंचने के बाद अब सीतापुर के डीएम को समन जारी किया गया है. आयोग ने 8 दिसंबर को दिल्ली में पेश होने या उससे पहले जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है.

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुए थे विशाल पांडेय
सीतापुर जिले के अटरिया दरियापुर गांव निवासी विशाल पांडेय को 20 अक्टूबर 2024 को गंभीर हालत में लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. हालत बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा. परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान विशाल की मौत हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने इसकी जानकारी परिवार को नहीं दी. इसके बजाय उन्हें करीब पांच दिन तक वेंटिलेटर पर रखकर इलाज जारी रहने की बात कही गई.

वार्ड में पहुंचे परिजन तो शव से आ रही थी दुर्गंध
परिजनों के मुताबिक, जब वे किसी तरह अस्पताल के वार्ड में पहुंचे तो विशाल को मृत पाया. परिवार का दावा है कि उनके शरीर से दुर्गंध भी आ रही थी. इसके बाद परिजनों को संदेह हुआ कि विशाल की मौत कई दिन पहले ही हो चुकी थी. आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने मौत की जानकारी छिपाकर वेंटिलेटर पर इलाज जारी रहने का दावा किया और इस दौरान परिवार से करीब 5 लाख रुपये वसूल लिए. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है. जांच के बाद ही मौत के समय और अस्पताल की भूमिका को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

ठाणे के परिचित ने NHRC से की शिकायत
मामला सामने आने के बाद विशाल पांडेय के परिचित महाराष्ट्र के ठाणे निवासी आसिफ आबिद खान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने 21 जनवरी 2025 को सीतापुर के जिलाधिकारी से आख्या मांगी थी. इसके बाद 22 अगस्त 2025 को पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट की आख्या आयोग को प्राप्त हुई. इसमें मामले की जांच के लिए चिकित्सकीय विशेषज्ञ की राय लेने का भी उल्लेख किया गया था.

दो सप्ताह में मांगी थी रिपोर्ट, जवाब नहीं मिलने पर समन
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 30 जनवरी 2026 को सीतापुर के डीएम को दो सप्ताह के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. हालांकि, निर्धारित समय में रिपोर्ट आयोग को नहीं मिली. इसे गंभीरता से लेते हुए आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीतापुर के जिलाधिकारी को समन जारी कर दिया. साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव वी. हेकाली झिमोमी को भी मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं.

8 दिसंबर को दिल्ली में पेश होने का निर्देश
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सीतापुर के डीएम को 8 दिसंबर की सुबह 11 बजे नई दिल्ली स्थित आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है. हालांकि, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि 1 दिसंबर तक मामले की आख्या उपलब्ध करा दी जाती है तो डीएम को व्यक्तिगत रूप से पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी.

शिकायतकर्ता को कई बार भेजा गया पत्र

मामले की जांच के दौरान शिकायतकर्ता का बयान दर्ज कराने के लिए कई बार पत्र भेजे गए. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, शिकायतकर्ता बयान दर्ज कराने के लिए उपस्थित नहीं हुआ. वहीं, संबंधित अधिकारियों से जांच रिपोर्ट मांगी गई है. आयोग के समक्ष रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विशाल पांडेय की मौत कब हुई थी और क्या मौत के बाद भी उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था.

जांच रिपोर्ट से खुलेगा पांच लाख की वसूली का सच

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अस्पताल ने मरीज की मौत के बाद भी इलाज जारी रहने की बात कहकर परिजनों से पैसे वसूले थे. परिवार ने करीब पांच लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया है. हालांकि, अस्पताल प्रबंधन का पक्ष अभी उपलब्ध नहीं है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. अब जांच रिपोर्ट से ही स्पष्ट होगा कि परिजनों के आरोपों में कितनी सच्चाई है और यदि लापरवाही या अनियमितता सामने आती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है.